

सतत सफलता के 68 वर्ष

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी  
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) 491001

GOVT. V.Y.T. POST GRADUATE AUTONOMOUS COLLEGE  
DURG (CHHATTISGARH) 491001

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. से सम्बद्धता प्राप्त  
नैक से 'ए+' ग्रेड की अधिमन्यता प्राप्त छत्तीसगढ़  
प्रदेश का सर्वप्रथम एवं एकमात्र महाविद्यालय



विवरणिका (2026-27)



Re-accredited by NAAC, Bangaluru with Grade 'A+'

“College with Potential for Excellence phase-III” Declared by UGC  
Centre of Excellence in Science, Declared by Chhattisgarh Govt.

Included in Star College Scheme of DBT, New Delhi

First Rank in CG in Mukhyamantri Panchmukhi Yojana 2016-17

Declared by Hemchand Yadav University, Durg as Best College 2026

Phone No- 0788-2359688 Fax- 0788-2359688

Email- [pprinci2010@gmail.com](mailto:pprinci2010@gmail.com)

Website- [www.govtsciencecollegedurg.ac.in](http://www.govtsciencecollegedurg.ac.in)

120 / – रूपये

महा.में उपलब्ध छात्रावास,प्रयोगशालायें,ग्रंथालय,सेमीनार हॉल एवं खेलकूद संसाधनों की झलक



वनस्पति शास्त्र प्रयोगशाला



मुख्य ग्रंथालय



लैंग्वेज लैब



रसायन शास्त्र प्रयोगशाला



रूसा द्वारा निर्मित नवीन व्याख्यान कक्ष



रवीन्द्रनाथ टैगोर सेमीनार हॉल



प्राणी शास्त्र प्रयोगशाला



माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला



महाविद्यालय कीडा मैदान



इन्डोर बैडमिंटन हॉल



भूगर्भशास्त्र प्रयोगशाला



छात्रों हेतु उपलब्ध महा. का छात्रावास



जिमनेजियम



बायोटेक्नालॉजी विभाग



स्वामी विवेकानंद हॉल



क्रांफेस हॉल



कम्प्यूटर लैब



कन्या छात्रावास



आटोनाॅमस बिल्डिंग



एपीजे स्मार्ट क्लास रूम



भौतिक शास्त्र स्मार्ट क्लास रूम



मीडिया सेन्टर



भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला



प्लेसमेंट सेल



बायो रिसोर्स कम्प्लेक्स

# विवरणिका (Prospectus) 2026-27



शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)  
{पूर्वनाम: शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)}  
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. से सम्बद्धता प्राप्त  
नैक ग्रेड-ए+, सी.पी.ई.-फेस-3, डी.बी.टी.-स्टार कालेज  
फोन नं. 0788.2359688, फैक्स नं. 0788.2359688  
Website: [www.govtsciencecollegedurg.ac.in](http://www.govtsciencecollegedurg.ac.in)  
Email- [pprinci2010@gmail.com](mailto:pprinci2010@gmail.com)

## प्रकाशक

प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी  
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को वैध परिचय पत्र सदैव लेकर आना होगा।  
समय-समय पर आकस्मिक जांच के दौरान प्रवेश पत्र/परिचय पत्र ना  
रखने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

रैगिंग दण्डनीय अपराध है, रैगिंग में संलिप्त पाये जाने  
पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

## विवरणिका (Prospectus)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अगस्त 1958 में स्थापित यह महाविद्यालय पूर्व में शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना के पश्चात् इस महाविद्यालय का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दुर्ग के सांसद स्वर्गीय श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया। सत्र 1988-89 में इस महाविद्यालय को शासन द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। सत्र 2022-23 से स्नातक प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति **NEP-2020** के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। संपूर्ण विवरण **Prospectus** के साथ संलग्न है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष अपने संबंधित परीक्षा परिणामों की घोषणा के 15 दिवसों के अंदर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संकाय के पार्ट-1 कक्षा में प्रवेश हेतु पृथक-पृथक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी आवेदन पत्रों में आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। महाविद्यालय परीक्षा/प्रवेश हेतु समस्त जानकारी विद्यार्थी महाविद्यालय की **website** पर समय-समय पर अवलोकन कर सकते हैं। **website : [www.govtsciencecollegedurg.ac.in](http://www.govtsciencecollegedurg.ac.in)** वर्तमान में यह महाविद्यालय छ.ग. सरकार द्वारा स्थापित हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध है।

समय चक्र	
विभिन्न संकाय के कक्षाओं के लिये समय चक्र निम्नलिखित है :-	
(क)	कला संकाय : बी.ए., एम.ए. एवं एमएसडब्ल्यू योगा एवं फिलासफी – प्रातः 7.30 बजे से 2.30 बजे तक
(ख)	वाणिज्य संकाय : बी.कॉम. और एम.कॉम – प्रातः 7.30 बजे से 2.30 बजे तक
(ग)	विज्ञान संकाय : बी.एससी / बी.सी.ए. / बी.लिब.आईएससी / पीजीडीसीए / एम.एससी / एम. लिब.आई.एससी. – प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक



## प्राचार्य की कलम से .....

प्रिय विद्यार्थियों,

नये शिक्षण सत्र 2026-27 के आरंभ होने पर आप सभी को शुभकामनाएं। महाविद्यालय परिवार के मुखिया के रूप में इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले समस्त छात्र-छात्राओं एवं उनके पालकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में इस महाविद्यालय को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय नैक, बंगलौर द्वारा पुनर्मूल्यांकित छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक मात्र एवं सर्वप्रथम 'ए+' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय है। महाविद्यालय की उल्लेखनीय गतिविधियों के आधार पर यूजीसी, नई दिल्ली ने इसे यूजीसी की प्रतिष्ठित योजना "कॉलेज विथ पोर्टेशियल फॉर एक्सीलेंस (सीपीई) फेस 3" तथा महत्वपूर्ण योजना "परामर्श" में शामिल किया है। सत्र 2025-26 में हेमचंद्र यादव दुर्ग विश्वविद्यालय ने दुर्ग संभाग में हमारे महाविद्यालय को बेस्ट कॉलेज का अवार्ड प्रदान किया है। इस उपलब्धि का सम्पूर्ण श्रेय महाविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य- वर्तमान एवं भूतपूर्व छात्र-छात्राओं, वर्तमान एवं भूतपूर्व प्राध्यापक तथा प्राचार्य गण, सम्मानीय पालकगण, उच्चशिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा महाविद्यालय से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों को जाता है। सत्र 2025-26 में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों एवं खिलाड़ी छात्र-छात्राओं ने अकादमिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं ने छत्तीसगढ़ राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा सेट एवं नेट-जेआरएफ में भी बड़ी संख्या में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2019-20 एवं 2020-21 सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा में महाविद्यालय के लगभग 80 भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का चयन समूचे महाविद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय है। सन् 2025 में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य लोक सेवा आयोग छ.ग. की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। मैं इन सभी को अपनी तरफ से बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु चयनित देश के 20 प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में महाविद्यालय का चयन समूचे महाविद्यालय परिवार के लिए हर्ष की बात है। पिछले शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं प्लेसमेंट सेल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक सार्थक प्रयास किये हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित संस्थाओं में कैंपस इंटरव्यू द्वारा चयन हुआ है, साथ ही एन.सी.सी., एन.एस.एस एवं यूथ रेडक्रास के छात्र-छात्राओं ने भी अपने उल्लेखनीय समाज सेवी कार्यों के द्वारा विशिष्ट छाप छोड़ी है। राष्ट्रीय युवा संसद, मेरा युवा भारत, विकसित भारत, राज्य साहित्य महोत्सव जैसे विभिन्न राष्ट्रीय आयोजनों में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय की गरिमा बढ़ाई। विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं प्राध्यापकों को वैश्विक, ज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार से जोड़ने के लिए महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कांफ्रेंस एवं सेमिनार आयोजित होते रहते हैं।


विगत शैक्षणिक सत्रों में महाविद्यालय में 12 स्मार्ट क्लास रूम विकसित किये गये हैं। महाविद्यालय में अत्याधुनिक उन्नत उपकरणों से युक्त एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त सभी विज्ञान विभागों में आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त महाविद्यालय में विवेकानंद सभागार, रवीन्द्रनाथ टैगोर सभागार, डॉ. ए.पी. जे. कलाम स्मार्ट क्लास रूम, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉल, विद्यावाणी डिजिटल स्टूडियो, आटोनोंमस ब्लॉक, मिनी माता कन्या छात्रावास, जिम, बायो रिसोर्स काम्प्लेक्स स्थापित किये गये हैं। विद्यार्थियों एवं पालकों की सुविधा हेतु महाविद्यालय प्रशासनिक भवन में रिसेप्शन काउंटर, हेल्प डेस्क, डिजिटल स्क्रीन, डिस्प्ले बोर्ड, एस.एम.एस. द्वारा विद्यार्थियों, पालकों एवं महाविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना का सम्प्रेषण जैसी नयी सुविधायें आरंभ की गयी हैं तथा ग्रंथालय का पूर्णतः आटोमेशन किया जा चुका है। महाविद्यालय के मुख्य हॉल का जीर्णोद्धार महाविद्यालय ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु प्रथम तल पर रिफरेंस सेक्शन भी आरंभ किया गया है। समूचे महाविद्यालय परिवार एवं आम नागरिकों हेतु महाविद्यालय के मुख्य द्वार के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम तथा कॉलेज स्टेशनरी शॉप की सुविधा भी मुहैया करायी गयी है।

एजुकेशन के क्षेत्र में महाविद्यालय को एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में एजुकेशनल वर्ल्ड नाम की एक पत्रिका ने देशभर के श्रेष्ठ आटोनोंमस कालेजों की सूची में हमारे महाविद्यालय को 10वां स्थान दिया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। महाविद्यालय में तीन पी.जी. डिप्लोमा कोर्स और 17 नये सर्टिफिकेट कोर्स के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित 08 सर्टिफिकेट कोर्स एवं कई मूल्य आधारित पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं, विद्यार्थियों हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट एवं ग्रेजुएट स्तर पर नये रोजगारन्मुखी पाठ्यक्रमों का स्ववित्तीय आधार पर आरंभ करना, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं का आयोजन तथा ग्रंथालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का क्रय, काउंसलिंग आधारित पीजी कक्षाओं में प्रवेश, स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना, कैंटीन तथा बालक छात्रावास का उन्नयन आदि प्रमुख हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग कक्षाओं के आयोजन के फलस्वरूप विगत सत्र में महाविद्यालय के 86 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्य में महाविद्यालय का परचम लहराया।

मैं आशा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी भी अपने परिश्रम, ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर महाविद्यालय का का गौरव बनेंगे, जिससे हमारा महाविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़ अपितु देश के प्रतिष्ठित महाविद्यालय के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा।

शुभकामनाओं सहित .....

(डॉ. अजय कुमार सिंह )  
प्राचार्य



## विश्वनाथ यादवराव तामस्कर—एक परिचय

स्व. श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर दुर्ग जिले के ऐसे जुझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका व्यक्तित्व आज भी हमारे लिये प्रेरणा प्रदान करता है। तामस्कर जी ने विदेशी सरकार से लड़ने से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिये जो योगदान इस प्रदेश को दिया है वह अनुकरणीय है।

स्व. श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर का जन्म दुर्ग के बेमेतरा तहसील के अंतर्गत झाल नामक ग्राम में 7 जुलाई 1901 में हुआ था। आपके पिता श्री यादवराव वामन तामस्कर कोर्ट में अर्जीनवीस थे एवं माता का नाम पुतली बाई था। आपकी अधूरी शिक्षा दुर्ग तथा बिलासपुर में पूर्ण हुई तथा कानून की पढ़ाई करने इलाहाबाद गये। यहां पर आप गांधीवादी नेताओं के सम्पर्क में आये और विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने गये। इसी समय 1921 में असहयोग आंदोलन के बहिष्कार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आप कानून की पढ़ाई छोड़कर अपने ग्राम वापस आ गये। आंदोलन समाप्त होने के पश्चात् पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर 1927 में नागपुर से कानून की डिग्री लेकर वकालत का पेशा अपनाया किन्तु आपका मन देशप्रेम में रम चुका था, इसलिये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। नमक कानून की तरह छत्तीसगढ़ में जंगल कानून तोड़ने का सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुये आप गिरफ्तार हुये। ब्रिटिश सरकार से अपने कृत्य पर क्षमा नहीं मांगने के कारण आप पर भारी जुर्माना लगाया था तथा एक वर्ष का कठोर कारावास दिया। जुर्माना नहीं पटाने पर आपकी बहुत सी सम्पत्ति और ग्रंथालय को नीलाम कर दिया गया। तामस्कर जी शासन के इस अत्याचार के आगे नहीं झुके बल्कि जेल से छूटते ही दुबारा आंदोलन में कूद पड़े। शराबबंदी आंदोलन में भाग लेते हुये दुबारा 9 माह के लिये जेल गये। साथ ही सरकार ने उनसे वकालत करने का अधिकार छीन लिया। ब्रिटिश शासन की यह नीति देशभक्तों को कुचलने की थी, किन्तु जनता ने ऐसे देश भक्तों को अपने सर आँखों में बैठाया था। तामस्कर जी 1930 से 1933 तक बेमेतरा कौंसिल के चेयरमेन चुन लिये गये। 1933 में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सदस्य तथा 1937 से 1940 तक उसके चेयरमेन के पद को शोभित किया। 1937 में प्रांतीय सरकार बनाने के लिये हुये चुनाव में आप बेमेतरा क्षेत्र से मध्यप्रान्त के धारासभा (विधानसभा) के प्रतिनिधि निर्वाचित हुये। 1939 में द्वितीय महायुद्ध के काल में विरोध स्वरूप सभी कांग्रेसी सदस्यों की तरह विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया तथा गांधीजी द्वारा संचालित 1941 का व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सत्याग्रही के रूप में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के काल में आपने कुल मिलाकर लगभग पांच वर्षों तक जेल यात्रा की थी। इसी बीच समाज सुधार के कार्यक्रम में भी आपने सक्रिय भागीदारी निभायी और अछूतोंद्वारा कार्यक्रम से जुड़े रहे।

1952 के पहले आम चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विजयी हुये तो 1957 में दुर्ग शहर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य बने। म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र के प्रयत्नों से आपने 1967 का चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया तथा विजयी होकर संसद में प्रवेश किया। आप छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों की आवाज देश के संसद में पहुंचाते रहे। शायद छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और बहुत पहले हो जाता किन्तु नियति ने इस कर्मठ माटीपुत्र को 2 सितम्बर 1969 को असमय हमसे छीन लिया। छत्तीसगढ़ की माटी सदा ऐसे जुझारू संतानों के प्रति ऋणी रहेगी। ऐसे कर्मठ एवं माटीपुत्र देशभक्त के नाम पर हमारे महाविद्यालय का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नामकरण किये जाने पर समूचा महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस करता है।

## महाविद्यालय का स्वर्णिम सफर – एक दृष्टि में

- स्थापना वर्ष एवं स्थल – 1958 (हिन्दी भवन, दुर्ग)
- पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं का आरंभ – 1965
- स्वशासी महाविद्यालय का दर्जा – 1988
- कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में अध्ययन की सुविधा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर स्वशासीकरण – 2006
- सत्र 2022–23 से स्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू (सेमेस्टर पध्दति से)
- 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महाविद्यालय विज्ञान संकाय में “Centre of Excellence” घोषित।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग को प्रतिष्ठित “FIST” योजना हेतु चयनित किया गया।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नई दिल्ली की प्रतिष्ठित “कालेज विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस” सीपीई योजना के प्रथम चरण (2006), द्वितीय चरण (2010) तथा तृतीय चरण (2014) में तथा परामर्श योजना चयनित होने वाला छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम एवं एकमात्र महाविद्यालय।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद (नैक) बंगलूरु द्वारा नवंबर 2011 में द्वितीय चरण में महाविद्यालय को “ए” ग्रेड प्रदान किया गया तथा फरवरी 2017 में चतुर्थ चरण में महाविद्यालय को “ए प्लस” ग्रेड तथा 2023 में चतुर्थ चक्र में ए प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ।
- बायोटेक्नालॉजी विभाग, नई दिल्ली द्वारा 2012 में “स्टार कालेज”स्कीम में महाविद्यालय का चयन।
- 17 (एम.ए, एम.कॉम, एमएससी, एमलिब आईएससी) विषयों में स्नातकोत्तर तथा 24 विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा। उक्त सभी पाठ्यक्रम हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्धता प्राप्त।
- 16 स्नातकोत्तर विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के द्वारा मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा “नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क” निर्माण हेतु देश के चुनिंदा 20 महाविद्यालयों में चयनित महाविद्यालय।
- एजुकेशनल वर्ल्ड मैगजिन के सर्वे के अनुसार देशभर के श्रेष्ठ ऑटोनामस कॉलेजों की सूची में महाविद्यालय को 9वां स्थान प्राप्त।
- महाविद्यालय की खिलाड़ी छात्रा कु. संतोषी मांझी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा “गुंडाधुर पुरस्कार” प्रदत्त।
- महाविद्यालय के छात्र रंजीत पटेल का विश्व कासकट्री चैम्पियनशिप, टर्की में भाग लेने हेतु भारतीय विश्वविद्यालयीन टीम में चयन।
- खेल में विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त।
- प्रतिवर्ष यूजीसी नई दिल्ली की पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च फेलो, राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप में महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं चयनित।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) नई दिल्ली के वूमन्स साइन्टिस्ट अवार्ड हेतु महाविद्यालय की शोध छात्राओं का चयन।
- DST-FIST द्वारा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रदत्त।
- कैंपस इंटरव्यू, संघ लोक सेवा आयोग, छ.ग. लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय रेलवे, भिलाई इस्पात संयंत्र, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इंडियन ऑयल, शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा

अनेकों विदेशी प्रतिष्ठानों में सेवा हेतु चयनित।

- यू एस इंडिया फुलब्राइट फेलोशिप, यूजीसी वूमेन्स रिसर्च अवार्ड, बेस्ट रिसर्च अवार्ड कामन वेल्थ अकादमिक स्टॉफ फेलोशिप, यूजीसी पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पुरस्कार, डॉ. बेलसरे स्वर्णपदक आदि से सम्मानित प्राध्यापकों की टीम।
- गहन शोध, अध्ययन अध्यापन से जुड़े प्राध्यापक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार/संगोष्ठी में सहभागिता, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लेखक, सम्पादक एवं रेफरी के रूप में मनोनीत प्राध्यापक।
- सत्र 2019-20 में महाविद्यालय के 25 नियमित/भूतपूर्व विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की नेट परीक्षा में सफलता अर्जित की। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2019 में महाविद्यालय के 22 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019-20 एवं 2020-21 में महाविद्यालय के 80 भूतपूर्व छात्रों ने चयनित होकर महाविद्यालय का नाम रौशन किया। सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने नेट/जेआरएफ परीक्षा में सफलता प्राप्त की।
- महाविद्यालय द्वारा सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में डीएसटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित इन्स्पायर इंटरनेशनल साइंस कैम्प आयोजित।
- सत्र 2017-18 में छत्तीसगढ़ कौंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, रायपुर द्वारा प्रायोजित एवं दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोजित 16वीं यंग साइंटिस्ट कांग्रेस की संयुक्त रूप से मेजबानी।
- खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी एवं यूथ रेडक्रास सोसायटी सांस्कृतिक समारोह के क्षेत्र में अग्रणी महाविद्यालय/राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में महत्वपूर्ण भागीदारी। यूथ रेडक्रास राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत।
- लगभग एक लाख पुस्तकों युक्त अत्याधुनिक ग्रंथालय तथा वाचनालय में ई-रिसोसेस/RFID सुविधा उपलब्ध जिसके अंतर्गत इंटरनेट, N-List, शोध गंगा, शोध गंगोत्री जैसी ई जर्नल्स समाचार पत्र, पत्रिकाओं के पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध।
- छात्रों के लिए सर्वसुविधा युक्त बालक/बालिका छात्रावास की सुविधा।
- महाविद्यालय में रूसा तथा छत्तीसगढ़ शासन उच्चशिक्षा विभाग के द्वारा प्रदत्त राशि से 14 नये व्याख्यान कक्ष उपलब्ध।
- विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में नियमित रूप से स्पोकन इंग्लिश, पर्सनलिटी डेव्लपमेंट, कम्प्यूनिवेशन स्किल, कम्प्यूटर शिक्षा, शैक्षणिक भ्रमण स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रोजेक्ट, सेमिनार/वर्कशाप/ट्रेनिंग, पावर पाइंट प्रेजेंटेशन, सांस्कृतिक व अनेक साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- महाविद्यालय के गणित विभाग द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय मेथेमेटिक्स ओलंपियाड तथा माधव मेथेमेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन।
- आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों की सहायता हेतु महाविद्यालय के नियमित प्राध्यापकों द्वारा स्वयं सेवी संस्था “जन उन्नयन” का गठन।
- आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों तथा प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त विद्यार्थियों हेतु विभिन्न शासकीय छात्रवृत्तियों की सुविधा।
- विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजनों हेतु महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद ऑडियो विजुअल हॉल, ग्रंथालय के प्रथम तल पर निर्मित टैगोर सेमिनार हाल, कांफ्रेस हाल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉल, शहीद वीर नारायण आदि की सुविधा।
- स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा।
- शारीरिक स्वस्थता एवं नियमित व्यायाम हेतु महाविद्यालय परिसर में “फिटनेस सेंटर” की स्थापना तथा विद्यार्थियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु मेडिकल इन्वेस्टीगेशन रूम की सुविधा।
- विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु महाविद्यालय में “ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल” की स्थापना। विगत वर्षों में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कैम्पस सलेक्शन।
- विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने हेतु महाविद्यालय में “हेल्प डेस्क” की स्थापना।
- महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष “इंडक्शन कार्यक्रम” का आयोजन।

- सत्र 2025-26 में महाविद्यालय को हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा पूरे संभाग में बेस्ट कॉलेज तथा बेस्ट फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित कर कमश : 25 हजार एवं 15 हजार की राशि प्रदान की गई।
- महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु आधुनिक शोध उपकरणों की सुविधा युक्त “सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटेशन लैब” लैंग्वेज लैब, टिशू कल्चर लैब, रॉक कटिंग व पालिशिंग मशीन, माइक्रोबायलाजी लैब, बायोटेक्नालाजी लैब, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, गणित, प्राणीशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूगोल आदि प्रयोगशालाओं की उपलब्धता।
- विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान एवं परामर्श हेतु महाविद्यालय में “मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र” की स्थापना।
- योग केन्द्र एवं जिम की सुविधा
- महाविद्यालय के मुख्य द्वार के समीप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की स्थापना।
- महाविद्यालय परिसर में “लेटर बॉक्स”की सुविधा।
- महाविद्यालय में मीडिया सेंटर की स्थापना
- विद्यार्थियों हेतु ग्रीन हाउस, बॉटनीकल गॉर्डन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, जैव उर्वरक उत्पादन, वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन आदि सुविधा हेतु बायो रिसोर्स काम्प्लेक्स का निर्माण
- अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं वर्चुअल कैफे की सुविधा।
- पूर्णतः वाय-फाई युक्त कैम्पस

## अध्ययन/अध्यापन की सुविधा

### स्नातक स्तर (Under Graduate level) FYUP

#### **कला संकाय (Arts faculty) (B.A.) NEP- 2020**

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, विधि, पर्यावरण अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

#### **वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय (Commerce & Management faculty) (B.Com.)**

वाणिज्य (दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा घोषित पाठ्याक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार(बी.काम विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)

#### **विज्ञान संकाय (Science Faculty) (B.Sc.)**

भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भशास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं मानव अधिकार

#### **स्ववित्तीय/रोजगारउन्मुखी पाठ्यक्रम (Self Financing/Job Oriented Courses)**

माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर साइंस, बायोकेमेस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

### स्नातकोत्तर स्तर (Post Graduate Level) सेमेस्टर प्रणाली

#### **कला संकाय (Arts Faculty) (M.A.)**

हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल

#### **वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय (Commerce Faculty) (M.Com.)**

वाणिज्य

#### **विज्ञान संकाय (Science faculty) (M.Sc)**

भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित, भूगर्भशास्त्र

#### **स्ववित्तीय पाठ्यक्रम(Self Financing Courses)(M.Sc)तथा MSW, PGDCA, पी.जी.**

डिप्लोमा इन योगा एवं फिलॉसफी, माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालाजी, एम.लिब. आईएससी, पीजीडीसीए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क (MSW), पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस एण्ड फिलासॉफी

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के पीएच.डी. उपाधि हेतु मान्यता प्राप्त शोध केन्द्र

1	भौतिक शास्त्र विभाग	9	हिंदी विभाग
2	रसायन विभाग	10	अंग्रेजी विभाग

3	गणित विभाग
4	वनस्पति शास्त्र विभाग
5	प्राणीशास्त्र विभाग
6	भूगर्भशास्त्र विभाग
7	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
8	बायोटेक्नालाजी विभाग

11	राजनीति शास्त्र विभाग
12	समाजशास्त्र विभाग
13	इतिहास विभाग
14	अर्थशास्त्र विभाग
15	भूगोल विभाग
16	वाणिज्य विभाग

### अध्ययन के विषय एवं उपलब्ध स्थान

(1) स्नातक FYUGP (Semester System) :-कुल तीन संकाय 1. कला 2. विज्ञान 3. वाणिज्य

#### स्नातक स्तर पर लिए जाने वाले विषय

DSC-3, GEC-1, AEC-1, SEC-1, VAC-1 प्रति Semester

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय अधिनियम 144 के तहत सेमेस्टर VII, एवं VIII तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय अधिनियम 205 के तहत सेमेस्टर I, II, III एवं IV, V, VI संचालित होंगे।

लिंक—[https://www.govtsciencecollegedurg.ac.in/Content/4224\\_1135\\_prospectus%202024-25.pdf](https://www.govtsciencecollegedurg.ac.in/Content/4224_1135_prospectus%202024-25.pdf)

(अ) विज्ञान संकाय DSC –

#### गणित समूह

#### बायो समूह

क्रं.	कोर विषय समूह	उपलब्ध सीट	क्रं.	कोर विषय समूह	उपलब्ध सीट
1	भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित	320	1	रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र	210
2	भौतिकी, गणित, भू-विज्ञान	65	2	रसायन, वनस्पति शास्त्र, मानव विज्ञान	40
3	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर साइंस	100	3	वनस्पति, माइक्रोबायोलॉजी, रसायन शास्त्र	90
4	भौतिकी, गणित, औद्योगिक रसायन शास्त्र	30	4	रसायन, प्राणी शास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी	55
5	भौतिकी, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	60	5	रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भू-विज्ञान	50
			6	वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, औद्योगिक रसायन शास्त्र	30
			7	वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, बायोकेमेस्ट्री	50

(ब) कला संकाय (कोर विषय समूह) DSC –

निम्न 6 (छः) विषय समूहों में से किन्हीं तीन विषय-समूहों से एक-एक विषय (Disciplines) का चयन किया जाना है –

क्रं.	विषय समूह	उपलब्ध सीट
1	समाज शास्त्र/मानव विज्ञान	500

2	राजनीति शास्त्र	
3	हिन्दी साहित्य/संस्कृत	
4	अर्थशास्त्र	
5	मनोविज्ञान/भूगोल	
6	इतिहास/अंग्रेजी साहित्य	

(स) वाणिज्य संकाय (कोर विषय समूह) DSC

कं.	विषय समूह	उपलब्ध सीट
1	वाणिज्य संकाय के सभी अनिवार्य विषय	520

1. कोर विषय – सभी अनिवार्य विषय
2. वाणिज्य सीट संख्या – 520

(2) स्नातकोत्तर :- (सेमेस्टर प्रणाली लागू)

कं.	संकाय	विषय	कुलस्थान	कं.	संकाय	विषय	कुलस्थान
1	कला	अंग्रेजी	40	1	विज्ञान	रसायन शास्त्र	25
2	कला	हिंदी	40	2	विज्ञान	भौतिकी	25
3	कला	अर्थशास्त्र	40	3	विज्ञान	गणित	60
4	कला	भूगोल	40	4	विज्ञान	वनस्पति शास्त्र	25
5	कला	राजनीति शास्त्र	40	5	विज्ञान	प्राणी विज्ञान	25
6	कला	इतिहास	40	6	विज्ञान	माइक्रोबायलॉजी	25
7	कला	समाजशास्त्र	30	7	विज्ञान	बायोटेक्नोलॉजी	25
8	कला	एम.एस.डब्ल्यू	40	8	विज्ञान	भू-विज्ञान	25
				9	कॉमर्स	एम.कॉम	140

(3) स्नातकोत्तर डिप्लोमा – (सेमेस्टर प्रणाली लागू)

कमांक	विषय	उपलब्ध सीट	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क	न्यूनतम योग्यता	अवधि
1	पीजीडीसीए	150	12000/- एक मुश्त देय	स्नातक	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)
2	पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस एण्ड फिलासॉफी (पीजीडीवायपी)	20	12000/- एक मुश्त देय	स्नातक	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)
3	पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एण्ड	30	16000/- (8000 रु.)	स्नातक	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)

	फारेंसिक साईंस		प्रति सेमेस्टर)		
4	पीजी डिप्लोमा इन लाईब्रेरी ऑटोमेशन एण्ड नेटवर्किंग	30	2500 / -	स्नातक	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)
5	पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एण्ड काउंसिलिंग	30	12000 / -	स्नातक	1 वर्ष (2 सेमेस्टर)

**(4) डिप्लोमा कोर्स – (सेमेस्टर प्रणाली लागू)**

क्रमांक	विषय	उपलब्ध सीट	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क	न्यूनतम योग्यता	अवधि
1	Concept of Epidemiology	25	5000	12 वीं	1 वर्ष
2	English Communication Skill	30	2000	12 वीं	1 वर्ष
3	Tally with Taxation	40	4000	12 वीं	1 वर्ष

**(5) सर्टिफिकेट कोर्स – (महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों हेतु)**

क्रमांक	विषय	उपलब्ध सीट	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क	न्यूनतम योग्यता	अवधि
1	सर्टिफिकेट कोर्स इन इनवायरमेंट साईंस (CES)	20	संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित कोर्स शुल्क	महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी	6 माह
2	सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट (CDM)	20			6 माह
3	सर्टिफिकेट कोर्स इन रूरल डेवलपमेंट (CRD)	20			6 माह
4	सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन राइट्स (CHR)	20			6 माह
5	सर्टिफिकेट कोर्स इन कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन (CCP)	20			6 माह
6	सर्टिफिकेट कोर्स इन बिजनेस स्किल्स (CBS)	20			6 माह
7	सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी (CIT)	20			6 माह
8	Certificate course in Pisciculture	40			6 माह

9	Machine Learning and its Application	30			6 माह
10	Certificate in Applied Microbiology	30			6 माह
11	Certificate course in Soil and Water Analysis	30			6 माह
12	Certificate Course in English for Communication Skills	30			6 माह
13	Remote Sensing and Geographical Information System (G.I.S.)	30			6 माह
14	Certificate course in Indian Freedom movement and constitutional development	25			6 माह
15	Certificate course in tourism Studies	20			6 माह
16	छ.ग. लोक साहित्य प्रमाण पत्र	30			6 माह
17	पूजा पध्दति एवं संस्कार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र	30			3 माह
18	Certificate course in Vedic Ganit	40			6 माह
19	Study Kautilya Political and Arthash				3 माह
20	Study of Indian Ancient Science and Technology				3 माह
21	Ancient Indian Culture and Tradition				3 माह
22	Ancient Indian kings and empires				3 माह
23	प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय परिचयात्मक अध्ययन				3 माह
24	Yoga and Sports				3 माह
25	Personality Development				3 माह

#### 6. ई-लर्निंग कोर्सेस

*	NPTEL/SWAYAM/MOOC कोर्स हेतु संपर्क करें – ऑनलाईन कोर्स	डॉ. कुसुमांजलि देशमुख – 9424109836
---	--	---------------------------------------

7. यूजीसी के आदेशानुसार महाविद्यालय में जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों हेतु स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष निम्नानुसार सीटें आरक्षित रहेंगी।

क्रं.	कोर विषय/समूह	आरक्षित सीट संख्या
	बीएससी	

1	भौतिकी, गणित, कम्प्यूटर साइंस	01
2	भौतिकी, रसायन, गणित	01
3	भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रानिक्स	01
4	भौतिकी, गणित, सूचना प्रौद्योगिकी	01
5	भौतिकी, गणित, भूगर्भशास्त्र	01
6	भौतिकी, औद्योगिक रसायन, गणित	01
7	रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र	01
8	रसायन, वनस्पति शास्त्र, माइक्रोबायोलॉजी	01
9	रसायन, प्राणीशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी	01
10	वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, बायो केमेस्ट्री	01
11	वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव विज्ञान	01
12	रसायन, प्राणी शास्त्र, भूगर्भशास्त्र	01
13	वनस्पति शास्त्र, औद्योगिक रसायन, प्राणीशास्त्र	01
	<b>बी.ए.</b>	
14	अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	01
15	हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	01
16	अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र	01
	<b>बी.कॉम.</b>	01
17	समस्त अनिवार्य विषय समूहों सहित	01

**रोजगार उन्मुखी/स्ववित्तीय पाठ्यक्रम एवं शुल्क विवरण  
(Job Oriented/Self Financing Courses and Fees Details)**

क्र.	कोर्स/विषय	उपलब्ध सीटें	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय जनभागीदारी मद शुल्क	न्यूनतम योग्यता	अवधि
1	एमएससी बायोटेक्नालाजी	25	15000/- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	2 वर्ष (चार सेमेस्टर)
2	एमएससी माइक्रोबायलाजी	25	15000/- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	2 वर्ष (चार सेमेस्टर)
3	एम लिब आईएससी	20	25000/- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातकोत्तर	1 वर्ष (दो सेमेस्टर)
4	पीजीडीसीए	150	12000/- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	1 वर्ष (दो सेमेस्टर)
5	एम.एस.डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क)	40	15000/- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	2 वर्ष (चार सेमेस्टर)
6	बी.सी.ए.	60	10000/- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
7	बी.लिब. आई एससी	40	12000/- प्रतिवर्ष	स्नातक	1 वर्ष

			(एकमुश्त देय)		2 सेमेस्टर
8	बी काम विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	100	3000 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
9	बी.एससी विथ माइक्रोबायलाजी	90	2000 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
10	बी.एससी विथ बायोटेक्नालाजी	55	3000 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
11	बी.एससी विथ इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री (गणित समूह-30 सीटें, बायोलाजी समूह -30 सीटें)	60	1200 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
12	बी.एससी बायोकेमेस्ट्री	50	3000 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
13	बी.एससी विथ कम्प्यूटर साइंस (केवल गणित समूह)	100	3000 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर
14	बी.एससी विथ इलेक्ट्रानिक्स (केवल गणित समूह)	50	2000 /- प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3+1 वर्ष 6 सेमेस्टर +2 सेमेस्टर

पीएचडी शोध उपाधि हेतु महाविद्यालय में हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग एवं अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विषयवार शोध निर्देशकों की सूची

<b>1. हिन्दी विभाग</b>	<b>9. प्राणीशास्त्र विभाग</b>
1. डॉ. अभिनेष सुराना	1. डॉ. दिव्या कुमुदिनी मिंज
2. डॉ. अम्बरीश त्रिपाठी	2. डॉ. संजू सिन्हा
<b>2. अंग्रेजी विभाग</b>	3. डॉ. अलका मिश्रा
1. डॉ. मर्सी जॉर्ज	4. डॉ. नीरू अग्रवाल
2. डॉ. तरलोचन कौर	
	<b>10. वनस्पति शास्त्र विभाग</b>
<b>3. राजनीति शास्त्र विभाग</b>	1. डॉ. जी.एस.ठाकुर
1. डॉ. शकील हुसैन	2. डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी
	3. डॉ. श्रीराम कुंजाम
<b>4. इतिहास विभाग</b>	4. डॉ. सतीश सेन
1. डॉ. ए.के. पाण्डेय	5. डॉ. विजय लक्ष्मी नायडू
2. डॉ. ज्योति धारकर	
	<b>11. रसायन विभाग</b>
<b>5. अर्थशास्त्र विभाग</b>	डॉ. अजय कुमार सिंह
1. डॉ. के. पद्मावती	डॉ. सुनीता मैथ्यू
	डॉ. अजय पिल्लई
	डॉ. प्रेरणा कठाने

<b>6. समाजशास्त्र विभाग</b>	<b>12. बायोटेक्नालॉजी विभाग</b>
1. डॉ. एलिजाबेथ भगत	1. डॉ. श्वेता पाण्डेय
<b>7. वाणिज्य विभाग</b>	<b>13. गणित विभाग</b>
1. डॉ. लाली शर्मा	1. डॉ. पद्मावती
2. डॉ. प्रदीप कुमार जांगड़े	2. डॉ. राकेश तिवारी
	3. डॉ. प्राची सिंह
<b>8. भौतिकी विभाग</b>	<b>14. भूगर्भशास्त्र विभाग</b>
1. डॉ. जगजीत कौर सलूजा	1. डॉ. एस.डी. देशमुख
2. डॉ. अनीता शुक्ला	2. डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव
3. डॉ. सीतेश्वरी चन्द्राकर	
4. डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा	<b>15. माइक्रोबायलॉजी विभाग</b>
5. डॉ. कुसुमांजलि देशमुख	डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी
	<b>16. भूगोल विभाग</b>
	डॉ. अनिल मिश्रा

### शुल्क विवरण (Fees Details)

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन दो प्रकार के शुल्क देने पड़ेंगे।

<b>(1) शासकीय शुल्क</b>		
1	प्रवेश शुल्क	3.00
2	स्टेशनरी शुल्क	2.00
3	शिक्षण शुल्क	115.00
4	प्रायोगिक शुल्क	20.00
5	शोध छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क	150.00
<b>(2) अशासकीय शुल्क</b>		
1	छात्रसंघ शुल्क	2.00 रु.
2	छात्र सहायता कोष	5.00 रु.
3	परिचय पत्र शुल्क	23.00 रु.
4	महाविद्यालय विकास शुल्क	25.00 रु.
5	सायकल स्टैंड शुल्क	125.00 रु.
6	सम्मिलित निधि (यूनियन गतिविधियाँ 20/- तथा क्रीडा 12/-)	32.00 रु.
7	स्नेह सम्मेलन शुल्क, युवा उत्सव	50 रु.
8	स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क	3.00 रु.
9	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (केवल पीजी के लिए)	20.00 रु.
10	पुनः प्रवेश शुल्क (डुप्लीकेट प्रति के लिए)	10.00 रु.
11	वाचनालय	30.00 रु.
12	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	150.00 रु.

	(केवल ऑफलाईन के लिए)	
13	प्रवजन शुल्क (केवल एक बार) (छ.ग. के बाहर के आवेदकों के लिए)	300.00 रु.
14	शारीरिक कल्याण शुल्क	20.00 रु.
15	खेलकूद मद	150.00 रु.
16	आंतरिक परीक्षा शुल्क प्रवेश के समय अनिवार्यतः देय	50.00 रु.
17	यूथ रेड क्रॉस शुल्क	25.00 रु.
18	महाविद्यालय वार्षिक पत्रिका तथा न्यूजलेटर शुल्क	50.00 रु.
19	महाविद्यालय विवरणिका	120.00 रु.
<b>(3) सुरक्षा निधि (Caution Money) :-</b> (महाविद्यालय छोड़ने पर वापस की जाती है)		
1	बी.ए., बी.कॉम. एव बी.एस.सी. बी.सी.ए., बी. लिब., आईएससी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)	60.00
2	एम.ए., एम.कॉम, एम.एस.सी. (पूर्व एवं अंतिम) नये विद्यार्थी इसी महा.के.विद्यार्थी	100.00 40.00
3	शोध छात्र	150.00
<b>(4) जनभागीदारी शुल्क :-</b>		
	कला/वाणिज्य संकाय	500.00
	विज्ञान संकाय एवं मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल के लिए	500.00

5) स्वशासी योजना के अंतर्गत परीक्षा एवं अन्य शुल्क जो कि अक्टूबर/नवम्बर माह में या महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर देय होगा, जो निम्नानुसार है :-

कं.	मद	नियमित	भूतपूर्व
1	पंजीयन शुल्क (प्रथम प्रवेश के समय एक बार लिया जायेगा।	100	---
2	परीक्षा आवेदन शुल्क	50	---
3	परीक्षा शुल्क		
	1. बी.ए./बी.काम./डिप्लोमा (गैर प्रायोगिक)	500	600
	2. बी.ए./बी.काम./डिप्लोमा (प्रायोगिक)	600	650
	3. बी.एससी./डिप्लोमा	600	650
	4. एम.ए./एम.एससी/पीजी डिप्लोमा (गैर प्रायोगिक) प्रति सेमेस्टर	600	650
	5. एम.ए/एस.एससी/पीजी डिप्लोमा (प्रायोगिक)/एमएसडब्ल्यू प्रति सेमेस्टर	750	650
	6. एम.कॉम (प्रति सेमेस्टर)	600	650
	7. एड ऑन कोर्स	400	450
	8. लघु शोध प्रबंध	300	..
	9. अंक सूची	50	..

	10. पूरक परीक्षा शुल्क (स्नातक)	300	400
4	पुनर्गणना आवेदन पत्र	10	..
5	पुनर्गणना प्रति विषय	50	..
6	पुनर्गणना सभी विषय	250	..
7	पुनर्मूल्यांकन (केवल स्नातक स्तर हेतु) प्रति प्रश्न पत्र (अधिकतम दो प्रश्न पत्र)	200	..
8	अंकसूची द्वितीय प्रति	100	..
9	अंक सूची में सुधार हेतु शुल्क (परिणाम घोषित होने के एक माह पश्चात्)	50	50
10	प्राविधिक प्रमाण पत्र	50	..
11	परीक्षार्थी के नाम परिवर्तन शुल्क (सम्पूर्ण वैधानिक कार्यवाही सहित)	200	..
12	VI सेमेस्टर पश्चात् स्नातक कोर्स से एक्जिट करने पर एक्जिट फीस 50 रु.	50	..
13	रेंजर एवं रोवर्स सदस्यता शुल्क	50	

नोट :- 1. उपरोक्त शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. सभी शुल्क प्रवेश के समय एक साथ देने होंगे (परीक्षा शुल्क छोड़कर)।
3. शुल्क जमा करते समय प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. परीक्षा शुल्क का निर्धारण स्वशासी प्रकोष्ठ की वित्त समिति द्वारा किया जाएगा।
5. महाविद्यालय द्वारा अपात्र घोषित विद्यार्थी को छोड़कर परीक्षा फीस किसी प्रकरण में वापस नहीं होगी।

### (सत्र 2026-27 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा जमा की जाने वाली कुल फीस का विवरण)

\* यह फीस का विवरण सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु लागू होगा। एस.सी./एस.टी./छात्राओं के शुल्क में ट्यूशन फीस 115 रु. नहीं लगेगी अर्थात् कुल जमा की जाने वाली फीस राशि में से 115 रु. घटाकर उपरोक्त वर्ग के विद्यार्थी फीस जमा करेंगे। छात्राओं से प्रयोगशाला फीस मात्र 5 रु. ली जावेगी।

\* मानव विज्ञान/मनोविज्ञान/भूगोल विषय के विद्यार्थियों को प्रयोगशाला शुल्क 20 रु. भुगतान करना होगा।

\* अन्य महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से काशन मनी (अवधान राशि) 100 रु. स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं से ली जावेगी।

\* छ.ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से नामांकन शुल्क 150 रु. तथा माइग्रेशन शुल्क 300 रु. लिया जायेगा।

\* उपरोक्त शुल्क राशि के अतिरिक्त स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों वाले विद्यार्थियों को पृथक से जनभागीदारी शुल्क राशिजमा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विवरणिका में दर्शायी गयी जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।

कं.	कक्षा	जमा की जाने वाली शुल्क राशि	
		छात्र	छात्रा

1	बी.ए. प्रथम/बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर	1522 रु.	1407 रु.
2	बी.ए./बी.कॉम तृतीय/पंचम/सप्तम सेमेस्टर	1302 रु.	1147 रु.
3	बी.एससी प्रथम सेमेस्टर	1542 रु.	1427 रु.
4	बी.एससी तृतीय सेमेस्टर/पंचम/सप्तम सेमेस्टर	1302 रु.	1167 रु.
5	एम.ए./एम.कॉम (प्रथम सेमेस्टर) एम.एससी (प्रथम सेमेस्टर)	1522 रु. 1542 रु.	1407 रु. 1427 रु.
6	एम.ए./एम.कॉम (तृतीय सेमेस्टर) एम.एससी (तृतीय सेमेस्टर)	1402 रु. 1422 रु.	1287 रु. 1307 रु.
7	पीजीडीसीए	11522 रु.	11407 रु.
8	बी.सी.ए. प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर	11542 रु.	11427 रु.
9	एम.एस.सी. पूर्व बायोटेक एवं माइक्रोबायलॉजी	16542 रु.	16427 रु.
10	एम. लिब.	26470 रु.	26335 रु.
11	एम.एस.डब्ल्यू एवं पीजी डिप्लोमा (योग एवं दर्शन)	13522 रु.	13407 रु.
12	पीजी डिप्लोमा इन लायब्रेरी आटोमेशन एवं नेटवर्किंग	4022 रु.	3907 रु.

### शुल्क संबंधी रियायतें

शुल्क संबंधी निम्नलिखित रियायतें केवल पूर्णकालीन छात्र/छात्राओं को ही मिल सकेंगी। इसके अंतर्गत सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर केवल शिक्षण शुल्क में ही रियायत दी जाती है, अन्य शुल्क यथावत देने पड़ते हैं। इस नियम के अधीन निम्नलिखित रियायतें मिलती हैं:—

1. स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रायें शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) एवं प्रायोगिक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।
2. स्नातकोत्तर स्तर तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) के भुगतान से मुक्त हैं।
3. स्नातक स्तर तक तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। (प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)
4. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र-पुत्री स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं।
5. राजनीतिक पीड़ितों के पुत्र/पुत्रियों को यदि कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो तो वे शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त होंगे।
6. यदि दो या दो से अधिक सगे भाई इस महाविद्यालय में एक ही सत्र में अध्ययन करते हैं, उनमें से बड़े भाई को शासकीय शुल्क पूर्ण देय होगा, शेष को आधा शुल्क देय होगा।
7. जो छात्र/छात्राएँ स्नातक स्तर पर बी.ए./बी.कॉम./बी.सी.ए./बी.लिब. एण्ड आईएससी/बी.एससी जीव विज्ञान/बी.एससी गणित प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पीजीडीसीए, एम.लिब एण्ड आईएससी एवं प्रत्येक विषय में अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे, उन छात्र/छात्राओं की परीक्षा फीस माफ कर दी जायेगी।
8. विकलांग/दिव्यांग विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क माफ रहेगा।

9. अनाथ छात्र/छात्राओं (माता,पिता दोनों की न होने की स्थिति में) का परीक्षा शुल्क माफ रहेगा।
10. ऐसे विद्यार्थी जिनके माता या पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है, उनकी परीक्षा शुल्क माफ रहेगा। (मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

### अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं हेतु अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए शुल्क

बी.ए., बी.एससी. प्रायोगिक विषयों में प्रवेश पाने वाले अमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के लिए प्रत्येक सत्र में विशेष प्रायोगिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय का प्रवेश फार्म भरना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। प्रायोगिक विषयों में अमहाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को प्रवेश सितम्बर माह में दिया जायेगा।

1. बी.एससी. (तीनों वर्ष) – जीव विज्ञान समूह (तीन विषय) –610/-
2. बी.एससी. (तीनों वर्ष) – गणित समूह (दो विषय) –470/-
3. बी.ए. (तीनों वर्ष) – भूगोल/एक विषय (मानव विज्ञान, मनोविज्ञान) –330/-

\* अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं में प्रवेश की सुविधा स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

\*\* विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।

नोट :- सेल्फ फाइनेंस योजना वाले विषयों में प्रायोगिक कार्य के लिए प्रवेश लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार देना होगा :-

1. बायोटेक्नालॉजी –1500
2. कम्प्यूटर साईंस – 1500,
- बायोकेमेस्ट्री –1500,
- इलेक्ट्रानिक्स-1000,
- माइक्रोबायोलॉजी – 1000,
- औद्योगिक रसायन –600

### छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2026-27

#### 1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को राजकीय विश्वविद्यालय तथा संबद्ध शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सेमेस्टर से है।

#### 2 प्रवेश की तिथि :-

##### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों को छोड़कर समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किए जायेंगे। विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों में से महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफ लाईन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

(स) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के परिपेक्ष्य में अनिवार्यतानुरूप किसी भी संशोधन/परिवर्तन के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(द) विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एवं स्वशासी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। स्वशासी महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्ष अर्थात् सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

##### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस तक) शासन द्वारा समय-समय पर जारी

निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जायेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन के भीतर प्रवेश पूर्ण किए जाएंगे। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं पूर्व सेमेस्टर के कोर्सेस/कोर्स क्रेडिट का मिलान करना आवश्यक होगा तथा आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा।

#### **स्पष्टीकरण :-**

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

### **2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-**

विधि संकाय के अतिरिक्त वार्षिक प्रणाली अंतर्गत (अंतिम वर्ष में) अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

सेमेस्टर प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है, परंतु किसी सेमेस्टर के किसी कोर्स विशेष में प्रावधानानुसार निविदत्त मूल्यांकन (Challenged Valuation) द्वारा परिणाम में परिवर्तन होने की स्थिति में सेमेस्टर वार प्रोन्नति नियम (Semesterwise Promotion Rule) के अनुसार आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत होने की पात्रता होगी।

### **3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अंतर्गत ही क्रमानुगत सेमेस्टर के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं, तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्चशिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों बी.ए., एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन न्यूनतम 02 (अधिकतम 05 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अंतर्गत प्रत्येक संकाय में अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही आवेदकों को प्रवेश देंगे।

3.4 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के प्रमुख बिन्दुओं सहित संस्थान्तर्गत संचालित संकायवार निर्धारित विषय समूह की सूची सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

### **4. प्रवेश सूची :-**

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी

- जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर (प्रवेश दिया गया) की मुहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर तत्सम्बन्धित सेमेस्टर/कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में **14 अगस्त** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

## 5. प्रवेश की पात्रता :-

### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्द्धशासकीय कर्मचारी तथा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

### 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय के उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी, परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो, तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अर्थात् बी.एससी (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। संकायवार विषय समूह के अनुरूप ही प्रवेश दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रत्येक सम सेमेस्टर (द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम/अष्टम) में प्रवेश नवीनीकरण तथा विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित अध्यादेश/विनिमय में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी तथा किसी सेमेस्टर में विषय परिवर्तन की पात्रता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप ही होगी।

- (ग) स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सप्तम में नियमित प्रवेश सम्बन्धित अध्यादेश/विनिमय के प्रावधानानुसार दिया जायेगा।

### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.काम./बी.एससी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम.एससी (गृह विज्ञान)/एम.ए. प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एससी, उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एससी/एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर के क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश नवीनीकरण तथा द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता सम्बन्धित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय अध्यादेश में उल्लेखित प्रोन्नति नियम (Promotion Rule) के अनुसार ही होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु -
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
  2. स्नातकोत्तर सेमेस्टर में, बैकलॉग कोर्स सम्बन्धित/सेमेस्टरवार प्रोन्नति नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
  3. स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्ष के बाद एकजट होने वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- (घ) बी.ए., एल.एस.बी./बी.कॉम, एल.एल.बी. पाठ्यक्रम की कक्षाओं में प्रवेश बार कौंसिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

### 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाध्व में 55 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- 5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

### 6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन(सी.बी.एस.ई.), इंडियन काउंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आईसीएसई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडियट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यामिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (इग्नू को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, कि परीक्षाएँ मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन

- केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेशदेने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार—  
जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है, जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्चशिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे हैं, ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है, ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।
7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-**
- 7.1 स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी, बी.एच.एससी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय से द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की द्वितीय वर्ष परीक्षा (वार्षिक प्रणाली हेतु) अथवा प्रथम,द्वितीय,तृतीय सेमेस्टर परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।  
राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
- 7.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित सेमेस्टर में क्रेडिट स्थानांतरण के प्रावधान संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा। तदनुसार स्नातक के तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना कोर्स मिलान एवं क्रेडिट स्थानांतरण पर आधारित होगा तथा सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार दिया जायेगा।
- 7.4 वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मातृ हेतु -विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 वार्षिक प्रणाली अंतर्गत शेष वर्ष हेतु **स्नातक स्तर** की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में बैकलॉग प्राप्त आवेदकों को अगली सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश की पात्रता, संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय के अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगी।
- 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एलएलबी के प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्ग्रेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा (वार्षिक प्रणाली में स्नातक अंतिम वर्ष मात्र हेतु लागू)।
- 9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-**
- 9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में।** आगामी सत्र/सत्रों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, परंतु अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में उसी संकाय में पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कंडिका 9.2 एवं 9.3 के परिधि में शामिल न हो।  
यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 **प्रवेश हेतु आयु सीमा :-छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.8.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।**
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवार्त् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, परंतु स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अन्य संकाय के रूप में स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकता है, यदि वह कंडिका 9.2 एवं 9.3 की परिधि में शामिल न हो।
- 9.7 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुरूप स्नातक स्तर पर स्वाध्यायी विद्यार्थियों को विषम सेमेस्टर (तृतीय/पंचम/सप्तम) में स्थल रिक्त होने पर नियमित प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.8 विदेशी नागरिकता अथवा विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी प्रावधानों/नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता निर्धारण नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :-

- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**
- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार संचालित 3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अंतर्गत अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में प्रवेश अध्यादेश/विनियम में प्रावधानित नियमानुसार होगा तथापि प्राथमिकता नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 स्नातक स्तर के 3/4 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम अथवा प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाये।
- 11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12. आरक्षण :-**छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
- परंतु, जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु कं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्वैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु कं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों/पौत्र-पौत्रियों, नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।**
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी। परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि –“We direct the centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाए।  
टीप:- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रं. एफ13-1/2023/आ.प्रा./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरूप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रं. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- 13. अधिभार :-**  
अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
- 13.1 एन.सी.सी./ एन.एस.एस./ स्काउट्स :-**  
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रावर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।
- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. “ए” सर्टिफिकेट  | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. “बी” सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स  | 03 प्रतिशत |
| (ग) | “सी”सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स   | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को   | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को  | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स   | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स   | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट  | 10 प्रतिशत |
| (ड) | ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट  | 10 प्रतिशत |
| (र) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट्स एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट्स को/ अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी में चयनित विद्यार्थी को | 15 प्रतिशत |
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिता-
1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिता में
- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| (क) | प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को   | 02 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 04 प्रतिशत |

2. उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में –
  - (क) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06 प्रतिशत
  - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
  - (ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित तथा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में
  - (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
  - (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
  - (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्चेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
  - (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत
  - (ख) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

### 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एनसीसी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आर्थोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि-

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
  2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक तृतीय/पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

### 14. संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 05 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर/सेमेस्टर में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अकादमिक कैलेण्डर में निर्धारित सतत् आंतरिक मूल्यांकन के प्रथम चरण के पूर्व दिनांक तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होंगे।

### 15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पीएचडी के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश/विनियम/अधिनियम के अनुरूप रिपोर्ट प्राप्त होने पर वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था शोध कार्य पूर्ण जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

#### 16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार/दायित्व प्राचार्य का होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार –आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न/शुद्धिकरण का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन/उच्च शिक्षा विभाग/मंत्रालय को होगा।

### महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश शुल्क का विवरण

सत्र 2025-26 में महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

कं.	विवरण	वर्तमान शिक्षण सत्र में छात्रावास में नवप्रवेशित छात्रों से	भूतपूर्व (छात्रावास में पूर्व प्रवेशित) छात्रों से
1	छात्रावास भोजन के लिए जमानत राशि	1200.00	निरंक
2	छात्रावास कमरे का अधिभार	100.00	100.00
3	छात्रावास अमानती राशि	500.00	निरंक
4	छात्रावास में बिजली तथा अन्य प्रभार की राशि	1700.00	1700.00
5	छात्रावास विकास राशि	500.00	500.00
6	वाचनालय शुल्क	400.00	400.00
	<b>कुलयोग</b>	<b>4400.00</b>	<b>2700.00</b>

## छात्रावास में प्रवेश हेतु नियम एवं शर्तें

1. छात्रावास में केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाता है अतएव प्रत्येक सत्र में नवीन आवेदन करना होगा।
2. छात्रावास अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का छात्र पालन करेंगे।
3. छात्रावास में छात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के ठहरने की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर अर्थदण्ड से लेकर निष्कासन की कार्यवाही हेतु अधीक्षक अधिकृत होंगे।
4. रैगिंग की गतिविधियों में संलग्न पाये जाने पर छात्र, छात्रावास से तत्काल निष्कासन एवं दण्ड के भागीदार होंगे।
5. छात्रावास में तम्बाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट एवं अन्य नशील पदार्थों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
6. कमरे का आबंटन निर्धारित शुल्क की रसीद छात्रावास अधीक्षक को दिखाने के बाद किया जावेगा।
7. छात्रावास में प्रवेशित छात्र यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसका छात्रावास से प्रवेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।
8. छात्र को छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं जैसे— कूलर, हीटर, कम्प्यूटर, इत्यादि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

## अध्यापन एवं परीक्षा प्रणाली

### I. स्नातक स्तर पर NEP 2020 के तहत नियमित विद्यार्थियों हेतु : अध्यापन

शासन के निर्देशानुसार NEP 2020 के तहत स्नातक स्तर पर सत्र 2022-23 से महाविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली एवं CBCS लागू की गयी, जिसकी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध है।

- (i) CBCS पध्दति में विद्यार्थियों को कोर कोर्सेस के अलावा विभिन्न वैकल्पिक विषयों के कोर्सेस लेने की सुविधा दी गयी है। इसके तहत वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा संचालित अध्ययन-अध्यापन योजना निम्नानुसार है :-

सत्र 2024-25 एवं 2025-26 एवं 2026-27 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु

### CCFUP for B.Sc. (Maths & Life Sc.) and B.A.

Sem.	DSC (4C)	DSE	Generic Elective	Ability Enhancement Course (AEC) (2C)	Skill Enhancement Course/Value Added Courses	Total Credits
I	DSC A1-(4C) DSC B1-(4C) DSC C1-(4C)		GE-01(4C) From the Pool	AEC -01 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	VAC-01(2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A2-(4C) DSC B2-(4C) DSC C2-(4C)		GE-02(4C) From the Pool	AEC -02 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	SEC--01(2C) From the Pool	20 Credits
<b>Students on exit shall be awarded undergraduate certificate (in the field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 44 credits (Extra 4 credits of Voc/Skill course have to be earned from any recognised platform)</b>						40 Credits
III	DSC A3-(4C) DSC B3-(4C) DSC C3-(4C)	DSE-01 (4C) Choose 1 from a pool of DSE A/B/C OR GE -03 (4C)		AEC -03 (2C) From the Pool (EVS/Eng./Hindi)	VAC-02(2C) From the Pool	20 Credits
IV	DSC A4-(4C) DSC B4-(4C) DSC C4-(4C)	DSE-02 (4C) Choose 1 from a pool of DSE A/B/C OR GE -04 (4C)		AEC -04 (2C) From the Pool Comm. Lang./English	SEC-02(2C) From the Pool	20 Credits
<b>Students on exit shall be awarded undergraduate Diploma (in the field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 84 credits (Extra 4 credits of Voc/Skill course have to be earned from any recognised platform)</b>						80 Credits

### CCFUP for B.Sc. (Maths & Life Sc.) and B.A.

Sem.	DSC (4C)	DSE	Generic Elective	Ability Enhancement Course (AEC) (2C)	Skill Enhancement Course/Value Added Courses	Total Credits
V	DSC A5-(4C)	DSE-03 (4C) Choose 1 from a pool of DSE A/B/C OR GE -05 (4C)		SEC -03 (2C) From the Pool	VAC-03(2C) From the Pool	20 Credits
	DSC B5-(4C)					
	DSC C5-(4C)					
VI	DSC A6-(4C)	DSE-04 (4C) Choose 1 from a pool of DSE A/B/C OR GE -06 (4C)		SEC -04 (2C) From the Pool	INTERNSHIP (2C)	20 Credits
	DSC B6-(4C)					
	DSC C6-(4C)					
<b>Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the field of Multidisciplinary Study) after securing the requisite 120 credits</b>						120 Credits
<b>For award of Bachelor degree with Honors (Students securing less than 7.5 CGPA)</b>						
VII	DSC -7 A/B/C (4C)	DSE -05 TO 08 (4x4C=16C) Choose 4 from a pool of DSE A/B/C				20 Credits
VIII	DSC -8 A/B/C (4C)	DSE -09 TO 12 (4x4C=16C) Choose 4 from a pool of DSE A/B/C				20 Credits
					<b>Total Credits</b>	<b>160 Credits</b>
<b>For award of Bachelor degree with Honors &amp; Research (Students securing at least 7.5 CGPA)</b>						
VII	DSC -7 A/B/C (4C)	DSE -05 TO 07 (3x4C=12C) Choose 3 from a pool of DSE A/B/C			Research Methodology (4C)	20 Credits
VIII	DSC -8 A/B/C (4C)	DSE -08 TO 10 (3x4C=12C) Choose 3 from a pool of DSE A/B/C			Research Dissertation (8C)	24 Credits

Student will be awarded Bachelor (Honors) (160 C) or (Honors with Academic Research) (164 C)							Credits
<b>CCFUP for B.Com., B.H.Sc., BCA, BBA</b>							
Sem.	DSC (4C)	DSE	Generic Elective	Ability Enhancement Course (AEC) (2C)	Skill Enhancement Course/Value Added Courses	Total Credits	
I	DSC A-1-(4C)		GE-01 (4C) From the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool	VAC-01 (2C) From the Pool	20 Credits	
	DSC A-2-(4C)						
	DSC A-3-(4C)						
II	DSC A-4-(4C)		GE-02 (4C) From the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits	
	DSC A-5-(4C)						
	DSC A-6-(4C)						
Students on exit will be awarded undergraduate certificate by securing requisite 44 credits (Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any recognized platform)						40 C	
III	DSC A-7-(4C)	Choose one DSE-01 (4C) Or GE-03 (4C) From the Pool		AEC-03 (2C) From the Pool	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credits	
	DSC A-8-(4C)						
	DSC A-9-(4C)						
IV	DSC A-10-(4C)	Choose one DSE-02 (4C) Or GE-04 (4C) From the Pool		AEC-04 (2C) From the Pool	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits	
	DSC A-11-(4C)						
	DSC A-12-(4C)						
Students on exit will be awarded undergraduate Diploma (in the field of multidisciplinary study) after securing requisite 84 credits (Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any recognized platform)						80 Credits	
V	DSC A-13-(4C)	Choose One DSE-03 (4C) Or GE-05 (4C) From the Pool		SEC-03 (2C) From the Pool	VAC-03 (2C) From the Pool	20 Credits	
	DSC A-14-(4C)						
	DSC A-15-(4C)						
VI	DSC A-16-(4C)	Choose One DSE-04 (4C) Or GE-06 (4C) From the Pool		SEC-04 (2C) From the Pool	Internship (2C)	20 Credits	
	DSC A-17-(4C)						
	DSC A-18-(4C)						
Student on exit shall be awarded Bachelor's degree (in Field of Multi disciplinary study) after securing requisite 120 credits						120 Credits	
<b>For Award of Bachelor Degree with Honors (Students securing less than 7.5 CGPA)</b>							
VII	DSC A-19 (4C)	Four DSE-05 to 08 (4X4) courses = 16 C				20 Credits	
VIII	DSC A-20 (4C)	Four DSE-09 to 12 (4X4) courses = 16 C				20 Credits	
<b>Total Credits</b>						<b>160 Credits</b>	
<b>For Award of Bachelor degree with Honors &amp; Research (Students securing at least 7.5 CGPA)</b>							

VII	DSC A-19 (4C)	Three DSE-13 to 15 (3X4) courses = 12 C	DS Research Methodology (4C)	20 Credits
VIII	DSC A-20 (4C)	Three DSE-16 to 18 (3X4) courses = 12 C	Research work Dissertation (4C+4C)	24 Credits
Student shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) [Honors (160 C) or Honors with Academic Research (164C)] after securing the requisite credits on completion of Sem. VIII				164 Credits

सातवें एवं आठवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए

**Appendix-II (Amended)**

UGCF for Multidisciplinary Courses of Study							
Sem.	DSC	DSE	GE	AEC	SEC/ Internship/ Apprenticeship / Project/ Dissertation / Community outreach (2)	VAC	Total Credits
I	DSC A 1-(4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)	<b>22 Credits</b>
	DSC B 1-(4)						
	DSC C 1-(4)						
II	DSC A 2-(4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	Choose one from a pool of AEC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)	<b>22 Credits</b>
	DSC B 2-(4)						
	DSC C 2-(4)						
<b>Students exiting shall be awarded Undergraduate Certificate (in the Field of study/Discipline) after securing the minimum 40 credits in semester I and II</b>							<b>Total = 44 Credits</b>
III	DSC A 3-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) Or Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from a pool of AEC courses (2)	<b>Choose one SEC (2) OR Internship/Apprenticeship/Pro ject/community outreach (2)</b>	Choose one from a pool of courses (2)	<b>22 Credits</b>
	DSC B 3-(4)						
	DSC C 3-(4)						
IV	DSC A 4-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) Or Choose one from a pool of courses GE-4(4)		Choose one from a pool of AEC courses (2)	<b>Choose one SEC (2)OR Internship/Apprenticeship/Pro ject/community outreach (2)</b>	Choose one from a pool of courses (2)	<b>22 Credits</b>
	DSC B 4-(4)						
	DSC C 4-(4)						
<b>Students exiting shall be awarded Undergraduate Diploma (in the Field of study/Discipline) after securing the minimum 80 credits on completion of semester IV</b>							<b>Total = 88 Credits</b>
V	DSC A 5-(4)	Choose two from a pool of courses DSE A/B/C (4+4) OR Choose two from a pool of courses GE-5 (4) & GE-6 (4)			<b>Choose one SEC (2) OR Internship/Apprenticeship/Pro ject/community outreach (2)</b>		<b>22 Credits</b>
	DSC B 5-(4)						
	DSC C 5-(4)						
VI	DSC A 6-(4)	Choose two from a pool of courses DSE A/B/C (4+4) Choose one from a pool of courses GE-7 (4)& GE-8 (4)			Internship/Apprenticeship/Pro ject/community outreach (2)		<b>22 Credits</b>
	DSC B 6-(4)						
	DSC C 6-(4)						
<b>Students exiting shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) in relevant Discipline after securing the minimum 120 credits on completion of semester VI</b>							<b>Total = 132 Credits</b>
VII	DSCA/B/C-(4)	Choose Four DSE (4x4) courses OR Choose three DSE-(3x4) and one GE-(1x4) course OR Choose one DSE (1 x 4) and Three GE (3 x 4) courses OR All Four GE 9, 10, 11 & 12 (4x4) (total=16)					<b>20 credits</b>
VIII	DSC A/B/C-(4)	Choose Four DSE(4x4) courses OR Choose three DSE-(3x4) and one GE-(1x4) course OR Choose one DSE -(1x4) and Three GE(4) (3x4) courses OR All Four GE 13, 14, 15 & 16 (4x4) (total=16)					<b>20 credits</b>
<b>Students shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honours)in relevant Discipline after securing the minimum 160 credits on completion of Semester VIII</b> <b>OR</b>							<b>Total = 172 Credits</b>
VII	DSCA/B/C-(4)	Choose Four DSE(4x4) courses OR Choose three DSE-(3x4) and one GE-(1x4) courseOR Choose one DSE (1 x 4) and Three GE (3 x 4) courses OR All Four GE 9, 10, 11 & 12(4x4) (total=16)					<b>20 credits</b>
VIII	DSC A/B/C-(4)	Choose one DSE (1 x 4) courses OR Choose one GE(1 x 4) course OR			<b>Research Project / Dissertation (12)</b>		<b>20 credits</b>
<b>Students shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honours with Research) in relevant Discipline after securing the minimum 160 credits on completion of Semester VIII</b>							<b>Total = 172 Credits</b>

- (ii) 2026–27 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु लागू 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए सैम्पल कोर्स प्लान

Course Plan for a Semester of 4 Yr UG program				
Example- BSc (Mathematics) - First Semester				
Course Type		Credits	Name	Specification
Discipline Specific Core Courses	DSC 1	4	Mathematics	Compulsory
	DSC 2	4	Physics	Compulsory
	DSC 3	4	Chemistry	Compulsory
Value Added Courses	VAC	2	From Pool of VACs	Elective ( To be opted from the list)
Ability Enhancement Course	AEC	2	From Pool of AECs	Elective ( To be opted from the list)
Generic Elective Course	GEC	4	From Pool of GECs	Elective Courses other than core discipline (To be opted from the list )

महाविद्यालय के विभिन्न संकायों / Group में प्रवेशित प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए VAC के Pool of Courses निम्नानुसार है:-

Name of Course	Department offering the course
Herbal Plant and Human Health	Botany
Chemistry in Daily life	Chemistry
Disaster Management	Geo.
History of National movement	History
Stress Management	Psychology
Constitutional Values	Political Science
सम्भाषण कौशल	Hindi Department
Sports and Healthy Life	Sports
Public Health & Hygiene	Zoology
Fundamentals of stock Markets	Commerce
Microbes and Human Health	Microbiology
Concept of Business	Commerce
Indian Traditional and Values	History
Emotional Intelligence	English

Plant based secondary metabolites	Biotechnology
-----------------------------------	---------------

**GEC (Generic Electric Courses) :-** महाविद्यालय विद्यार्थियों को CBCS के तहत कोर संकाय में संचालित विषयों के अलावा अन्य संकायों के द्वारा संचालित विषयों/कोर्स में अध्ययन करने की भी सुविधा देता है। इसमें विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर में, महाविद्यालय द्वारा जारी सूची में से अनिवार्यतः एक विषय चुनने का प्रावधान है।

प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु **CGHED** के द्वारा जारी **GEC** की सूची से महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध विषय निम्नानुसार होंगे :-

महाविद्यालय द्वारा सत्र 2026-27 में विभिन्न संकायों/Group में प्रवेशित प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए **GEC** के **Pool of Courses** निम्नानुसार है:-

Arts Group				Commerce Group			
1	Business Law	4	Computer Fundamental & MS Office	1	History of India (upto 1947)	5	नाटक, व्याकरण और भाषा कौशल हिन्दी साहित्य का इतिहास
2	Fundamentals of Geology	5	Elementary Botany	2	Elementary Botany	6	Fundamental of Physical Geography
3	Elementary Calculus			3	Introduction to Political Theory	7	Computer Fundamental & MS Office
				4	Introduction to Sociology		
Maths Group				Bio- Group			
1	History of India (Second Century BC)	7	Fundamentals of Physical Geography	1	History of India (Second Century BC)	5	Business Law
2	Basics of Economics	8	Business Law	2	Basics of Economics	6	Introduction to Political theory
3	Introduction to Psychology			3	Introduction to Psychology	7	Fundamentals of Physical Geography
4	Introduction to Sociology			4	Introduction to Sociology		
5	Introduction to biological Anthropology						
6	Introduction to Political theory						

## परीक्षा प्रणाली

- 1 (उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के निर्देशानुसार सत्र 2020-21 से स्नातक स्तर के सभी संकायों के समस्त सेमेस्टर विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन परीक्षाओं के 20 प्रतिशत अंक मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के 10% अंक मुख्य वार्षिक परीक्षा में अंकों के साथ जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।  
प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित कोर्सेस के मूल्यांकन के द्वारा किया जायेगा। किसी प्रोग्राम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा –

क्रमांक	विशिष्ट	2023-24 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
(i)	सेमेस्टर अंत में परीक्षा	कुल अंकों का 80% अंक	कुल अंकों का 70% अंक
(ii)	सतत आंतरिक मूल्यांकन (आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा+ संगोष्ठी/प्रश्नोत्तरी/असाइन्मेंट या अन्य गतिविधि)	कुल अंकों का 20% अंक	कुल अंकों का 30% अंक
(iii)	अर्हकारी अंक	कुल अंकों का 40% अंक	कुल अंकों का 40% अंक

- 2 सेमेस्टर अंत की परीक्षाएं उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार होगी तथा सेमेस्टर अंत परीक्षा (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल) की अवधि तीन घंटे की होगी। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की अवधि HEI की अकादमिक परिषद द्वारा तय की जाएगी।
- 3 प्रत्येक सेमेस्टर के किसी प्रोग्राम को उत्तीर्ण करने के लिए ना सिर्फ प्रत्येक कोर्स में (आंतरिक और बाहरी दोनों अंकों सहित) न्यूनतम 40% अंक, अपितु प्रत्येक सेमेस्टर में समग्र रूप से भी न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए।
- 4 प्रत्येक प्रोग्राम के प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट की एक निर्दिष्ट संख्या होगी। छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगी।
- 5 सेमेस्टर परीक्षा परिणामों की निम्नलिखित श्रेणियां होगी :
- (i) **उत्तीर्ण (Pass)**, अर्थात्, जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी कोर्सेस में उत्तीर्ण हुए हैं।
  - (ii) **प्रोन्नत (Promoted)**, अर्थात् जो सेमेस्टर परीक्षा के सभी कोर्सेस में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, परंतु  $n/2$  कोर्सेस में उत्तीर्ण है। यहाँ  $n$  एक सेमेस्टर में कुल कोर्सेस की संख्या है।
  - (iii) **रोके गये (Detained)** अर्थात् जिन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, उन्हें detained किया जाएगा। ऐसे छात्रों को अध्यादेश के अनुसार परिभाषित प्रोग्राम की अधिकतम अवधि तक शुल्क का भुगतान करके अगले शैक्षणिक सत्र में उसी सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन हेतु पुनः प्रवेश की पात्रता होगी।
- 6 प्रथम सेमेस्टर में Detained किया गया/कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित/परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया/आवेदित लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले छात्र उक्त प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। ऐसे छात्रों को अगले सत्र में पूर्व छात्र (Ex. Student) के रूप में HEI द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश की पात्रता होगी।

## 7. प्रोन्नति नियम :

- 7.1 प्रथम सेमेस्टर—अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, भले ही कितने भी पेपर में बैक हो।
- 7.2 द्वितीय सेमेस्टर—अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र तृतीय सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश ले सकेगा और उसकी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पुष्टि तभी की जाएगी जब उसके द्वारा प्रथम और द्वितीय दोनों सेमेस्टर मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किए हों।
- 7.3 तृतीय सेमेस्टर—अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, भले ही तृतीय सेमेस्टर में कितने भी पेपर में बैक हो।
- 7.4 चतुर्थ सेमेस्टर—अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र 5वें सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश ले सकेगा और उसकी 5वें सेमेस्टर में प्रवेश की पुष्टि तभी की जाएगी जब वह तृतीय और चतुर्थ दोनों सेमेस्टर मिलाकर न्यूनतम 50% क्रेडिट अर्जित किया हो एवं प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिया हो।
- 7.5 5वें सेमेस्टर—अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह 6वें सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, भले ही 5वें सेमेस्टर में कितने भी पेपर में बैक हो।
- 7.6 विषम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षाएं विषम सेमेस्टर—अंत परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएंगी, इसी प्रकार सम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षाएं सम सेमेस्टर—अंत परीक्षाओं के साथ ही आयोजित की जाएंगी।
- 7.7 इसके अलावा, उन छात्रों के लिए जिन्होंने चौथे सेमेस्टर तक के सभी पेपर उत्तीर्ण कर लिए हो के लिए 6वें सेमेस्टर के साथ 5वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- 7.8 उन छात्रों के लिए जिनके केवल छठे सेमेस्टर में बैक पेपर हैं के लिए छठे सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा सेमेस्टर के परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित की जाएगी।
- 7.9 छठे सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर में उत्तीर्ण छात्र ही 7वें सेमेस्टर (यूजी के चौथे वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।
- 7.10 7वें सेमेस्टर—अंत परीक्षा के तुरंत बाद छात्र को प्रोन्नत किया जाएगा और वह 8वें सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश ले सकता है, भले ही 7वें सेमेस्टर में कितने भी पेपर में बैक हो।
- 7.11 आठवें सेमेस्टर—अंत परीक्षा के साथ सातवें सेमेस्टर के बैक पेपर वाले छात्रों के लिए सातवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- 7.12 सेमेस्टर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद 8वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। 8 वें सेमेस्टर में बैक वाले समस्त छात्र इस विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।
- 7.13 चौथे वर्ष के प्रारंभ होने से पहले छात्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करके ऑनर्स कोर्स चुन सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम का अनुसरण सीटों की उपलब्धता और अन्य मानदंडों के अधीन होगा और HEI द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा, जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75% अंक या उससे अधिक या समकक्ष 7.5 सीजीपीए प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं और महाविद्यालय के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजना या शोध प्रबंध कर सकते हैं। शोध परियोजना/शोध प्रबंध मुख्य विषय में होगा। उनके प्रोजेक्ट कार्य के शोध परिणाम सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेंटेंट कराए जा सकते हैं।
- 7.14. विश्वविद्यालय अपने अधिनियम के माध्यम से अनुसंधान कार्यक्रम के साथ ऑनर्स की उपाधि प्रदान करने वाले HEI को मान्यता देगा।
- 7.15 यदि कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है या उच्च सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं किया जाता है, तो उसे तब तक रोका जाएगा जब तक कि वह बैक पेपर उत्तीर्ण नहीं कर लेता है, जिसके लिए वह अगली समुचित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते कि यह कार्यक्रम के लिए अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर किया गया हो। ऐसे छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उस संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

- 7.16 50% क्रेडिट की गणना के लिए सैध्दांतिक और प्रायोगिक दोनों ही पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 क्रेडिट को पूर्णांकित किया जाएगा।  
स्नातक डिग्री पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 07 वर्ष की होगी। प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश से समय की गणना की जाएगी।

### III स्नातकोत्तर स्तर पर स्वशासी नियमित विद्यार्थियों हेतु :

सत्र 2006-07 से सभी एम.ए./एम.कॉम/एम.एससी. की कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली शासन द्वारा लागू की गई है। सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर में पूर्ण होगा। इस तरह दो वर्षों में कुल 04 सेमेस्टर देने के पश्चात् ही छात्र-छात्राएँ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करेंगे। पीजीडीसीए एवं एम.लिब आईएससी के पाठ्यक्रम एक वर्ष अर्थात् दो सेमेस्टर में पूर्ण होंगे।

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं सैध्दांतिक प्रश्न पत्रों में अहर्तांक (Qualifying Marks) 20% अर्थात् 20 में से 04 तथा 80 में से 16 अंक पृथक-पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (2) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक रूप से कुल 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (3) अधिकतम तीन अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में ATKT (Allowed To Keep Term) की पात्रता होगी जिसके लिये मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के अतिरिक्त केवल दो ही अवसर दिये जायेंगे।
- (4) प्रथम सेमेस्टर में बैकलॉग/ATKT (Allowed To Keep Term) आने पर द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।
- (5) किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर/ATKT आने पर अगली सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ आयोजित परीक्षा में First Chance की पात्रता होगी। इसमें पुनः अनुत्तीर्ण होने/ATKT होने पर अगली परीक्षा में मुख्य परीक्षा के साथ Last Chance की पात्रता होगी।
- (6) प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT होने पर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। अंतिम प्रयास (Last Chance) के अंतर्गत पूर्व सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्वयमेव निरस्त हो जाएगी।
- (7) ATKT (Allowed To Keep Term) प्राप्त प्रश्न पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन के पूर्व में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे।
- (8) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में ATKT प्राप्त परीक्षार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत मान्य होंगे।
- (9) स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्मूल्यांकनकी सुविधा नहीं होगी, लेकिन पुनर्गणना की अनुमति होगी। स्नातक परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना की सुविधा यथावत है।
- (10) सेमेस्टर परीक्षा में दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (11) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग पध्दति से जारी किया जाएगा। इसके अनुसार उनकी अंकसूची में ग्रेड प्वाइंट्स (SGPA तथा CGPA) एवं क्रेडिट प्वाइंट्स का उल्लेख किया जाएगा।
- (12) NEP 2020 नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40% अंक (सैध्दांतिक तथा प्रायोगिक में पृथक-पृथक) प्राप्त होने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
- (13) परीक्षा में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा।
- (14) स्नातकोत्तर के प्रत्येक छात्र को सतत आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में 20 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन तथा 80 प्रतिशत बाह्य परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित न हो पा सकने की स्थिति में स्वस्थ होने के उपरांत मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने तथा प्राचार्य की अनुमति होने पर परीक्षा देनी होगी।
- (15) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को पीजीडीसीए में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

**शैक्षणिक सत्र 2026–27 का शासकीय अकादमिक कैलेण्डर  
सेमेस्टर प्रणाली अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम**

कं.	अकादमिक कार्य	स्नातक / स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)		स्नातक / स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII सेमेस्टर)	
		नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु
1	<b>प्रवेश प्रक्रिया</b>	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु	नियमित विद्यार्थियों हेतु	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु
	प्रथम सेमेस्टर	15.06.2026 से 31.07.2026 तक	पंजीयन 31.08.2026 तक	—	—
	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14.08.2026 तक	—	—	—
	अन्य सेमेस्टर हेतु	15.06.2026 से तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर	—	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर	—
2	अध्यापन कार्य आरंभ	1 जुलाई 2026	—	04 जनवरी 2027 से VI सेमेस्टर हेतु 15 जनवरी 2027	—
3	महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन	20 से 31 जुलाई 2026 के मध्य	10 सितम्बर 2026 तक	15 से 20 जनवरी 2027 के मध्य	30 जनवरी 2027 तक
4	विद्यार्थियों द्वारा GE/DSE एवं VAC/SEC का चयन किया जाना	05 अगस्त 2026 तक	25 सितम्बर 2026 तक	20 जनवरी 2027 तक	30 जनवरी 2027 तक
5	GE/DSE एवं VAC/SEC कोर्सवार विद्यार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना	20 अगस्त 2026 तक	30 सितम्बर 2026 तक	05 फरवरी 2027 तक	10 फरवरी 2027 तक
6	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : अंतर्गत विद्यार्थियों को असाइन्मेंट का आबंटन	25 अगस्त 2026 तक	01 अक्टूबर 2026 तक	06 फरवरी 2027 तक	12 फरवरी 2027 तक
7	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत प्रथम टेस्ट / क्विज	8,9,10,11,12 सितम्बर 2026	10 अक्टूबर 2026 तक	23,24,25,26,27 फरवरी 2027	12 मार्च 2027 तक
8	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत द्वितीय टेस्ट / क्विज	13,14,15,16,17 अक्टूबर 2026	10 नवम्बर 2026 तक	06,07,08,09,10 अप्रैल 2027	10 अप्रैल 2027 तक
9	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA)	12 नवम्बर 2026 तक	21 नवम्बर 2026 तक	17 अप्रैल 2027 तक	24 अप्रैल 2027 तक

	अंतर्गत असाइनमेंट का मूल्यांकन				
10	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	9 से 21 नवंबर 2026 तक	09 से 21 नवंबर 2026 तक	12 से 24 अप्रैल 2027 तक	12 से 24 अप्रैल 2027 तक
11	परीक्षा पूर्व तैयारी	23 से 28 नवंबर 2026 तक		26 अप्रैल से 1 मई 2027 तक	
12	सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) : प्राप्तकों का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	26 नवम्बर 2026 तक	25 नवम्बर 2026 तक	03 मई 2027 तक	03 मई 2027 तक
13	अंतर् सेमेस्टर परीक्षा (ESE) :	30 नवम्बर 2026 से		05 मई 2027 से	

VI सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा 04 जनवरी 2027 से 15 जनवरी 2027 के मध्य 10 कार्य दिवस में ईन्टर्नशिप कोर्स कार्य पूर्ण किया जाना है। इस हेतु ईन्टर्नशिप कोर्स संचालन नीति का अवलोकन किया जाये।

### सेमेस्टर प्रणाली अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्रमांक	अकादमिक कार्य / गतिविधियां	सेमेस्टर I/III	सेमेस्टर II/IV
1	प्रवेश प्रक्रिया प्रथम सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2026 तक	
	कुलपति की अनुमति से	14 अगस्त 2026 तक	
	तृतीय सेमेस्टर	16 जून से 31 जुलाई 2026 तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिन तक	प्रवेश नवीनीकरण परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत 10 दिन तक
2	अध्यापन कार्य आरंभ	01 जुलाई 2026 से	04 जनवरी 2027
3	आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट / सेमीनार / प्रोजेक्ट का आबंटन	25 अगस्त 2026 तक	05 फरवरी 2027 तक
4	आंतरिक मूल्यांकन प्रथम टेस्ट	8,9,10,11,12 सितम्बर 2026	24,25,26,27,28 फरवरी 2027
5	आंतरिक मूल्यांकन –द्वितीय टेस्ट	13,14,15,16,17 अक्टूबर 2026	06,07,08,09,10 अप्रैल 2027
6	आंतरिक मूल्यांकन:	12 नवम्बर 2026 तक	17 अप्रैल 2027 तक

	असाइन्मेंट/सेमीनार /प्रोजेक्ट का मूल्यांकन		
7	प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	9 से 21 नवम्बर 2026	12 से 24 अप्रैल 2027 तक
8	परीक्षा पूर्व तैयारी	23 से 28 नवम्बर 2026	26 अप्रैल से 01 मई 2027 तक
9	आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का विश्वविद्यालयों को प्रेषण	26 नवम्बर 2026 तक	03 मई 2027 तक
10	अंत सेमेस्टर परीक्षा	30 नवम्बर 2026 से	05 मई 2027 से

### Ph.D कार्यक्रम हेतु सत्रीय अकादमिक कैलेण्डर

क्रमांक	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	निर्धारित तिथि/अवधि
1	Ph.D पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना	31 जुलाई तक
2	Ph.D पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजन	14 अगस्त तक
3	Ph.D पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	30 अगस्त तक
4	विभागीय शोध समिति की बैठक का आयोजन	30 सितम्बर तक
5	Ph.D पाठ्यक्रम में प्रवेश	30 अक्टूबर तक
6	Ph.D पाठ्यक्रम का कोर्सवर्क अध्यापन कार्य	नवम्बर से मार्च
7	कोर्सवर्क की परीक्षा का आयोजन	15 मई से 30 मई के मध्य
8	कोर्सवर्क की परीक्षा परिणाम की घोषणा	30 जून तक

### सत्रीय अन्य गतिविधियाँ

क्रमांक	गतिविधियां/विवरण	निर्धारित तिथि/अवधि
1	छात्रसंघ गठन प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	शासन के निर्देशानुसार
2	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां –	
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं आरंभ किया जाना	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2026 से
	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन	अंतिम सप्ताह नवम्बर 2026 तक
	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का वार्षिक आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2027
3	एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य	

	गतिविधियां—	
	वृक्षारोपण कार्यक्रम	द्वितीय सप्ताह जुलाई 2026
	एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प का आयोजन	प्रथम सप्ताह नवम्बर 2026
	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव/पुरुस्कार वितरण का आयोजन	प्रथम सप्ताह जनवरी 2027
4	विश्वविद्यालय स्तर पर दीक्षान्त समारोह का आयोजन	जनवरी-फरवरी 2027
5	अवकाश —	
	दशहरा अवकाश — 03 दिन	19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक
	दीपावली अवकाश — 05 दिन	07 नवम्बर से 11 नवम्बर 2026 तक
	शीतकालीन अवकाश —03 दिन	28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2026 तक
	ग्रीष्मकालीन अवकाश —30 दिन	17 मई 2027 से 15 जून 2027

नोट :- वर्ष 2027 का शासकीय कैलेण्डर जारी नहीं हुआ है। अतः वर्ष 2027 में उपरोक्त निर्दिष्ट तिथियों में किसी तिथि विशेष को शासकीय अवकाश घोषित होने की स्थिति में निर्धारित कार्य आगामी कार्य दिवस को सम्पन्न किया जायेगा।

### महत्वपूर्ण निर्देश :-

- छत्तीसगढ़ शासन, उच्चशिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क समिति का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियां प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रति सेमेस्टर शैक्षणिक कार्य दिवस 90 दिन निर्धारित है। कतिपय कारणों से कार्य दिवस कम होने की स्थिति में महाविद्यालय अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये, ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन सुनिश्चित हों।
- समस्त शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रति सेमेस्टर कोर्स क्रेडिट्स पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालयों में लागू समय सारिणी में प्रत्येक कालखण्ड की अवधि एक घंटे की ही होगी।
- प्रत्येक डिसिप्लिन/विषय हेतु निर्धारित कालखण्डों/अवधि में विद्यार्थियों की उपस्थित न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगा। निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों के पालकों को सूचना दी जायेगी।
- एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थियों की उक्त अवधि की उपस्थिति को मान्य किया जायेगा।
- प्रति कोर्स हेतु सतत् आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा इन्टरशिप कोर्स के संचालन नीति के परिपालनार्थ निर्धारित अवधि (10 कार्य दिवस) में इन्टरशिप कोर्स कार्य पूर्ण किया जाना होगा।
- परीक्षा संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गये समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जाना अनिवार्य होगा।



## GOVT.V.Y.T.PG AUTONOMOUS COLLEGE,DURG (CG)

(Former Name : Govt, Arts & Science College, Durg) CPEPhase-III, DBT Star College

Phone: 0788-2359688, Fax : 2359688

Website:[www.govtsciencecollegedurg.ac.in](http://www.govtsciencecollegedurg.ac.in)

<b>Academic Calendar for the Session 2026-27</b>			
(As per the Directives of Department of Higher Education, Government of Chhattisgarh)			
S. No.	Month	Activity	Proposed Dates
1	June	Admission	
		UG Semester I	From 16 June to 31 July 2026
		UG Semester III	From 16 June to 31 July 2026 or After announcement of the result of UG Semester II
		PG First Semester	From 16 June to 31 July 2026
2	July	Induction Program (UG Part I)	20-31 July, 2026
		New Session for UG Sem I & Sem III	18-July, 2026
		New Session for PG Sem. I	14-July, 2026
3	September	Internal Assessment and Assignment Submission of UG Semester I & III	8, 9, 10, 11, 12 September, 2026
		First Internal Assessment PG Sem. I & III	8, 9, 10, 11, 12 September, 2026
4	October	Second Internal Assessment UG Sem. I & III	13, 14, 15, 16, 17 October 2026
		Second Internal Assessment PG Sem. I & III	13, 14, 15, 16, 17 October 2026
5	November	Semester Practical Exam UG I & III Sem.	09-21 November, 2026
		Semester Practical Exam PG I & III Sem.	09-21 November, 2026
		Preparation Leave	23 to 28 November, 2026
6	December	End Semester Exam Theory UG Semester I & III .	30 November, 2026
		End Semester Exam PG Semester I & III	30 November, 2026

7	January	New Session for UG & PG Sem. II & IV	04 January, 2027
		Induction Programme	13 January, 2027
8	February	Internal Assessment and Assignment Submission of UG & PG Semester II & IV	23, 24, 25, 26, 27 February, 2027
9	April	Second Internal Assessment Test PG Semester II & IV	6, 7, 8, 9, 10 April, 2027
		Practical Exam PG Semester II & IV	12-24 April, 2027
		Practical Exam UG Semester II & IV	12-24 April, 2027
		Preparation Leave	26 April to 01 May, 2027
11	May	End Semester Exam Theory UG Semester II & IV	03 May, 2027
		End Semester Exam Theory PG Semester II & IV	05 May, 2027

<b>Co- curricular and Extracurricular Activities</b>	
<b>Activity</b>	<b>Date</b>
Plantation	From Second week of July 2026
Formation of student union	24 to 31 August 2026
Sports Activities and Sports competition	From 1 <sup>st</sup> September 2026
Cultural activities (college level), other extracurricular activities	From 1 <sup>st</sup> September 2026
Annual function and prize distribution	1 <sup>st</sup> Week of February 2027
NCC/NSS Camp	January 2027

**Note :- The Programme and dates are tentative. It can change according to Government Direction.**

**Govt.V.Y.T.PG Autonomous College Durg**  
**Commemorative Day Celebration (Session 2026-27)**

S.No	Date	Name of the Day	Organising Department
1	7-Jul-26	Vishwanath Yadav Tamaskar Jayanti	IQAC
2	11-Jul-26	World Population Day	Economics
3	22-Jul-26	International Mangrove Day	Botany
4	31-Jul-26	Munshi Premchand Birth Anniversary	Hindi
5	2 Aug. 26	Acharya Sir Prafulla Chandra Ray Birthday	Chemistry
6	9-Aug-26	World Tribal day	History
7	10-Aug-26	International Day of World's Indigenous People	Anthropology
8	12-Aug-26	Dr. Vikram Sarabhai Birth Anniversary	Physics
9	12-Aug-26	Dr. Rangnathan Day	Library Science
10	12-Aug-26	World Sanskrit Day	Sanskrit
11	15-Aug-26	Independence Day	Office of Principal
12	22-Aug-26	Harishankar Parsai Birth Anniversary	Hindi
13	29 Aug- 26	National Sports Day	Sports
14	5-Sep-26	Teacher's Day	All Departments
15	7-Sep-26	Vishwanath Yadav TamaskarPunyatithi	IQAC
16	14-Sep-26	Hindi Diwas	Hindi
17	16-Sep-26	World Ozone Day	Physics & Chemistry
18	17-Sep-26	International Micro-Organism Day	Microbiology
19	17-Sep-26	Vishwakarma Jayanti	All Laboratory and Office
20	24-Sep-26	NSS Day	NSS Unit
21	2-Oct-26	Gandhi Jayanti	IQAC
22	4 -Oct-26	World Animal Welfare Day	Zoology
23	9-Oct-26	National Nanotechnology Day	Chemistry
24	10-Oct-26	World Mental Health Day	Psychology
25	15-Oct-26	APJ Abdul Kalam's Birthday	Physics
26	15-Oct-26	Hand Hygiene Day	Microbiology
27	20-Oct-26	Valmiki Jayanti	Sanskrit
28	23-Oct-26	World Mole Day	Chemistry
29	23-Oct-26	National Mole Day	Chemistry
30	7-Nov-26	Sir CV Raman's Birthday	Physics
31	7-Nov-26	National Cancer Awareness Day	Chemistry
32	10-Nov-26	World Commerce Day	Commerce Day
33	13-Nov-26	Muktibodh Birth Anniversary	Hindi
34	17-Nov-26	World Student Day	IQAC
35	26-Nov-26	Constitution Day	Political Science
36	30-Nov-26	Sir Jagdish Chandra Bose's Birthday	Physics
37	1-Dec-26	World Aids Day	Microbiology
38	2-Dec-26	National Pollution Control Day	Microbiology/Chemistry
39	2-Dec-26	World Computer literacy Day	C.S.
40	5-Dec-26	International Volunteer day for economic &	MSW

		Social development	
41	10-Dec-26	Human Right Day	Pol. Science
42	14-Dec-26	Geeta Jayanti/National Energy Conservation day	Sanskrit
43	22-Dec-26	National Mathematics Day	Mathematics
44	1-Jan-27	S N Bose's Birthday	Physics
45	10-Jan-27	World Hindi Day	Hindi
46	12-Jan-27	National Youth Day	All Students
47	14-Jan-27	Geography Day	Geography
48	24-Jan. 27	National Girl Child Day	Women Cell
49	25-Jan-27	India Tourism Day	History
50	25-Jan-27	National Voters Day	NSS
51	26-Jan-27	Republic Day	Office of Principal
52	26-Jan-27	Vasant Panchami	All departments
53	7-Feb-27	National Periodic Table Day	Chemistry
54	18-Feb-27	World Anthropology Day	Anthropology
55	20 Feb-27	World Day of Social Justice	Sociology
56	21 Feb-27	Sir Shanti Swaroop Bhatnagar Birth Day	Chemistry
57	21-Feb-27	Nirala Jayanti	Hindi
58	28-Feb-27	National Science Day	All Science Department
59	4-Mar-27	National Safety Day	Chemistry
60	8-Mar-27	International Women's Day	Women Cell
61	14-Mar-27	World Pi Days	Mathematics
62	15-Mar-27	World Consumer Rights Day	Economics
63	21-Mar-27	World Forestry Day	Botany
64	22-Mar-27	World Water Day	Geology
65	23 Mar 27	World Atmospheric Day	Chemistry
66	4-Apr-27	Geologist Day	Geology
67	7-Apr-27	World Health Day	Yoga
68	14-Apr-27	Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti	Sociology
69	22-Apr-27	Earth Day	All Science departments
70	23-Apr-27	Book Day	Library Science
71	23-Apr-27	Shakespeare Day	English
72	26-Apr-27	World Intellectual Property Day	Research Council
73	7-May-27	Ravindranath Tagore Birth Anniversary	English/Hindi
74	8-May-27	World Red Cross Day	Youth Red Cross
75	22-May-27	International Day of Biological Diversity	All Life Science Departments
76	31-May-27	World No-Tobacco Day	NSS Unit
77	5-Jun-27	World Environment Day	All Department
78	19-June-27	World Sickle Cell Awareness Day	Biotechnology
79	21-Jun-27	International Yoga Day	Yoga Department
80	26-Jun-27	International Anti-Drug Day and International Day Against Drug Abuse and Elicit Trafficking	Microbiology
81	27-Jun-27	World Microbiome Day	Microbiology

## छात्रवृत्ति

### 1. आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता नियमानुसार होगी। अधिक जानकारी हेतु छात्र-छात्राएँ छात्रवृत्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

### 2. बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे) :-

जिन छात्र-छात्राओं के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) कार्डधारी हैं, उन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस छात्रवृत्ति की पात्रता है। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे कार्डधारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्राप्तांकों का प्रतिशत 60 या उससे अधिक तथा माता पिता का मूल वेतन 25000 वार्षिक तक होना अनिवार्य है।

- |                                    |   |              |                |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|
| 1. स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम     | - | देय माह - 30 | प्रतिमाह 300/- |
| 2. स्नातकोत्तर दो वर्षीय पाठ्यक्रम |   | देय माह - 20 | प्रतिमाह 500/- |

शासन द्वारा समय समय पर नियमों में संशोधन किया जाता है। शासन द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित नियम लागू होंगे।

**अन्य छात्रवृत्तियाँ :-** राज्य शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति समय-समय पर दी जाती है।

कं.	छात्रवृत्तियों के प्रकार	अवधि	दर	आधार
1	2	3	4	5
1.	महाविद्यालय के लिये	1 वर्ष	50 रु. प्रतिमाह	योग्यता के आधार पर
2.	रा.छा.सेना/सीनियर छात्रवृत्तियाँ	2 वर्ष	50 रु. प्रतिमाह	योग्यता के आधार पर
3.	मृत शासकीय कर्मचारियों के बच्चों की विशेष शिष्यवृत्तियाँ पाठ्यक्रमानुसार	अन्य छात्रवृत्ति की तरह		मूल वेतन सीमा 6000/- मृत शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए (विभागीय अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक है।)
4.	मृत सैनिकों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ	प्रतिमाह छात्रावासी गैर छात्रावासी	100 रु. 60 रु.	मृत सैनिकों को छ.ग. का निवासी होना आवश्यक है।
5.	निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्तियाँ	अन्य छात्रवृत्तियों की तरह प्रतिमाह छात्रावासी प्रतिमाह गैर छात्रावासी स्नातक	75 रु. 50 रु.	निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर साधन के आधार पर
6.	आत्मसमर्पित डाकुओं के तथा	प्रतिमाह छात्रावासी स्नातकोत्तर	100 रु.	

	डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति	गैर छात्रावासी स्नातकोत्तर	75 रु.	
7.	भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्तियां कुल 4 पितृहीन कन्याओं के लिए	प्रतिमाह स्नातक स्तर	50 रु.	योग्यता के अनुसार संयंत्र में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को
8.	निःशक्त जन छात्रवृत्ति			
9.	तेदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिये			
10.	अल्प संख्यक छात्रवृत्ति			
11.	नौनिहाल छात्रवृत्ति			
12.	बीडी बनाने वाले श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति			
13.	संस्कृत विषय लेने पर छात्रवृत्ति			
14.	केन्द्रीय छात्रवृत्ति			

### विद्यार्थियों हेतु प्रयोजित पदक एवं पुरस्कार

क	पुरस्कार/पदक का नाम	पात्रता	दानदाता का नाम
1.	स्वर्गीय अनिल तामस्कर एवं श्रीमती पद्मावती विश्वनाथ तामस्कर स्मृति स्वर्ण पदक	महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर सभी संकायों में सर्वोत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को	श्रीमती अलकनंदा तामस्कर एवं परिवार दुर्ग
2.	स्वर्गीय प्रकाश चंद्र माहेश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक	महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को	माहेश्वरी परिवार दुर्ग
3.	स्व. निर्मल चन्द्र पाठक स्मृति 10000/- रु. प्रतिवर्ष नकद पुरस्कार	महाविद्यालय के कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को	श्रीमती निर्मला पाठक दुर्ग
4.	स्व. शीला शर्मा स्मृति 6000/- रु. प्रतिवर्ष नकद पुरस्कार	1. महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले नियमित विद्यार्थी को। 2. बी.लिब में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी को	श्री अशोक शर्मा भिलाई
5.	11000/- वार्षिक नकद पुरस्कार	खेल विधाओं में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी छात्र-छात्राओं की सहभागिता हेतु	महाविद्यालय प्रशासन
6.	डॉ. शुभा गुप्ता स्मृति पदक	विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम अंक प्राप्त	डॉ. शुभा गुप्ता परिवार
7.	डॉ. रामेन्द्र शुक्ला स्मृति पदक	सर्वाधिक अंक स्नातकोत्तर समाजशास्त्र	डॉ. अनीता शुक्ला
8.	डॉ. बलबीर सिंह गुप्ता स्मृति पदक	कला संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त	डॉ. सुचित्रा गुप्ता
9.	स्व. माता जी की स्मृति में	गरीब विद्यार्थियों को शुल्क प्रदाय	डॉ. अनिल कश्यप
10.	स्व. गौर गोपाल चटर्जी मेमोरियल मेरिट छात्रवृत्ति अवार्ड	स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष रसायन शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को	डॉ. एस.के. चटर्जी

11.	स्व. डॉ. ए.क्यू खान मेमोरियल छात्रवृत्ति अवार्ड	1. स्नातकोत्तर अंग्रेजी साहित्य के टॉपर विद्यार्थी को 2. स्नातकोत्तर हिन्दी साहित्य के टॉपर विद्यार्थी को	डॉ. अब्दुल अलीम खान,
12.	स्व.डॉ. बी. विश्वकर्मा मेमोरियल छात्रवृत्ति अवार्ड	बेस्ट एन.सी.सी. कैंडिडेट को वार्षिक छात्रवृत्ति	डॉ. आनंद विश्वकर्मा एवं विश्वकर्मा परिवार
13.	स्व. श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव प्रोत्साहन प्रवीण्यता छात्रवृत्ति	प्रतिवर्ष स्नातकोत्तर भूगर्भशास्त्र पूर्व एवं अंतिम वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को	स्व. श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव
14.	स्व. श्रीमती कल्याणी देवी स्मृति पुरस्कार—5000 रु. नगद	प्रतिवर्ष स्नातकोत्तर प्राणी शास्त्र विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को	डॉ. श्रीमती संजू सिन्हा
15.	स्व. श्रीमती तजिन्दर कौर स्मृति स्वर्ण पदक	बी.कॉम. स्नातक में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को	डॉ. एच.पी. सिंह सलूजा
16.	स्व. श्री केशर सिंह सलूजा स्मृति स्वर्ण पदक	एम.कॉम. स्नातकोत्तर में सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को	डॉ. एच.पी. सिंह सलूजा

### महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध संसाधन

1. व्याख्यान कक्ष
2. भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, माइक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर साइंस, भूगोल, मनोविज्ञान, विषयों की आधुनिक प्रयोगशालाएं
3. शोध छात्रों हेतु सेंट्रल इंस्ट्रुमेंटेशन लैब, टिशू कल्चर लैब, कम्प्यूटर लैब
4. “लैंग्वेज लैब” एवं “कामर्स लैब”
5. स्वामी विवेकानंद ऑडियो विजुअल हॉल
6. रवीन्द्रनाथ टैगोर सेमीनार हाल
7. कांफ्रेस हाल
8. डॉ. ए.पी.जे. कलाम स्मार्ट क्लास रूम, सीवी रमन स्मार्ट क्लास रूम, प्रफुल्ल चंद्र राय स्मार्ट क्लास रूम
9. कम्प्यूटरीकृत मुख्य ग्रंथालय (ई-लायब्रेरी), वाचनालय एवं रिफरेन्स रूम
10. मेडिकल इन्वेस्टीगेशन रूम
11. इंडोर बैडमिंटन हाल
12. आऊटडोर खेलों की सुविधा
13. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम
14. महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट
15. छात्रसंघ कक्ष
16. गर्ल्स कामन रूम
17. इग्नू अध्ययन केन्द्र
18. मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र
19. कैरियर काउंसिलिंग एंड प्लेसमेंट सेल
20. बालक छात्रावास (150 सीटों) की उपलब्धता सहित
21. कन्या छात्रावास
22. वनस्पति उद्यान एवं औषधीय पादप उद्यान
23. महाविद्यालय कैंटीन
24. कॉलेज स्टेशनरी शॉप
25. पार्किंग शेड
26. वाई-फाई कैंपस एवं एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा

27. एन.एस.एस./एन.सी.सी./यूथ रेडक्रास इकाई कार्यालय
28. डिजिटल स्क्रीन डिस्प्ले बोर्ड
29. पं. सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र
30. ऑनलाईन कोर्सेस NPTEL, SWAYAM, MOOC
31. LAN Connectivity
32. पूर्णतः आटोमेटेड लायब्रेरी

## पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए महाविद्यालय में नियमित रूप से निम्नलिखित पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अकादमिक कैलेंडर में विभिन्न आयोजनों की समय सारणी का अवलोकन किया जा सकता है :-

1. **इंडक्शन कार्यक्रम** – महाविद्यालय में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने हेतु अगस्त माह में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
2. **क्रीडा** :- प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित क्रीडा समिति खेल गतिविधियों का संचालन करती है। शासन द्वारा खेल प्रशिक्षण हेतु एक राजपत्रित क्रीडा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों का प्रशिक्षण व संचालन किया जाता है :-
  - (क) **आउटडोर** :- 1. हॉकी 2. फुटबॉल 3. क्रिकेट 4. बास्केटबॉल  
5. बैडमिंटन 6. कबड्डी 7. खो-खो 8. हैण्डबॉल  
9. नेट बॉल 10. वॉलीबॉल 11. बॉल बैडमिंटन
  - (ख) **इनडोर** :- 1. टेबल टेनिस 2. कैरम 3. शतरंज
3. **एन.सी.सी.** :- महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सैनिक जीवन व अनुशासन की शिक्षा देने के लिए छात्र सेना की व्यवस्था की गई है। सम्प्रति महाविद्यालय में छात्र व छात्राओं की पृथक दो कंपनियाँ हैं जिन्हें सेना के कुशल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित विद्यार्थी पर्वतीय प्रशिक्षण, आर्मी अटैचमेंट शिविर, राष्ट्रीय एकता शिविर गणतंत्र दिवस परेड आदि कार्यक्रमों में सफलता व विशेष यश अर्जित कर महाविद्यालय को गौरवान्वित करते हैं।
4. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)** – छात्र-छात्राओं को रचनात्मक समाज सेवा व जनकल्याण कार्यों का प्रशिक्षण देने के ध्येय से स्थापित एन.एस.एस. की दो सक्रिय ईकाइयाँ महाविद्यालय में कार्यरत हैं। ब्लड डोनेशन, सोशल अवेयरनेस कैम्प, स्वास्थ्य कैम्प, वृक्षारोपण व ग्राम सेवा जैसे समाज सेवा के कार्यों द्वारा विद्यार्थी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर महाविद्यालय के लिए यश अर्जित करते हैं। एन.एस.एस. की दो यूनिट में लगभग 300 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।
5. **व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम** – महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु हर शनिवार महाविद्यालय सभागार में तात्कालिक भाषण, क्विज, पोस्टर/स्लोगन, निबंध आदि प्रतियोगिताएं कक्षावार आयोजित की जाती हैं। समय-समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत विकास, इंटरव्यू कम्प्यूनिकेशन स्किल, योग नागरिक सुरक्षा आदि से संबंधित वर्कशाप/सेमीनार आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय के सूचना पटल पर आयोजन संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इन कार्यक्रमों से महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण रोचक व उत्साहवर्धक बना रहता है तथा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलती है।

6. **स्टडी सर्कल** :- विद्यार्थियों में पठन-पाठन में रूचि जागृत करने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने तथा देश विदेश, अर्थव्यवस्था, राजनीति व विज्ञान के ताजा परिवर्तनों से उन्हें अवगत कराने हेतु महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा व्याख्यान, सेमीनार, वर्कशाप समरकोर्स, ओलंपियार्ड, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। इस योजना से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलेगी। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों हेतु सेट/नेट परीक्षाओं की तैयारी संबंधी मार्गदर्शन हेतु विशेष प्रशिक्षण कक्षाएँ आयोजन का प्रयास जारी है।
7. **कैरियर काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल** :-विगत कई वर्षों से महाविद्यालय का प्लेसमेंट सेल विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कैंपस इंटरव्यू आयोजित कर विद्यार्थियों को रोजगार सुलभ करवाने हेतु कार्यरत है। विप्रो, आई.सी.आई.सी.आई., एच.डी.एफ. सी. बजाज एलाएन्स, एपेक्स केमिकल्स, बाल्को, एशियन पेंट्स, वेदांता समूह, एल एण्ड टी, महेन्द्रा फायनेंस आदि कई बड़ी कंपनियों केअब तक कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए हैं, जिनसे अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। शिक्षादान योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को पीएससी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग आयोजित की जाती है।
8. **युवा उत्सव** :- साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, गीत, नृत्य, नाटक, एकल अभिनय, काव्य पाठ, निबंध लेखन, आदि की चयन प्रतियोगिताएं अगस्त/सितम्बर के बीच आयोजित की जाती हैं। चयनित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय तथा पूर्वी क्षेत्र अंतर्महाविद्यालयीन युवा उत्सव में भेजा जाता है।
9. **यूथ रेड क्रॉस सोसायटी** :- विद्यार्थियों में मानव सेवा का भाव जागृत करने हेतु महाविद्यालय में यूथ रेडक्रॉस सोसायटी की इकाई संचालित है। इसकी गतिविधियों में रक्तदान शिविर, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना प्रमुख है। विद्यार्थियों का स्वस्थ परीक्षण।
10. **फिल्म सोसायटी** :- महाविद्यालय में विद्यार्थियों की अभिनय कला को उभारने तथा शिक्षाप्रद फिल्मों को दिखाने के उद्देश्य से फिल्म सोसायटी गठित की गई है।
11. **हेल्प डेस्क** :- 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण स्नातकोत्तर पूर्व कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन करने हेतु महाविद्यालय मुख्य प्रशासनिक भवन में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।
12. **मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र** :-विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निराकरण हेतु महाविद्यालय में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र स्थापित किया गया है। छात्र-छात्रायें कार्यालयीन दिवस में मनोविज्ञान विभाग में स्थापित इस केन्द्र के प्राध्यापकों से प्रातः 11.00 से 1.00 बजे के मध्य सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
13. **योगा, जिम एवं मेडिटेशन की सुविधायें उपलब्ध है।**

## छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा -

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में सहपाठियों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ शालीन व्यवहार करेंगे। अभद्र व्यवहार/असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
4. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है।
5. विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर, ब्यसन करने, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। गुरुजनों के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी कठिनाई रखी जा सकती है।
6. विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेंगे तथा अपनी माँगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेंगे।
7. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय के पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग या उपकरणों की तोड़-फोड़ या अस्वच्छता फैलाने को दण्डात्मक आचरण माना जाएगा।
8. विद्यार्थी ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेंगे, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
9. महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं के दौरान मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
10. महाविद्यालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थित बैरियर/गार्डरूम के आगे विद्यार्थी एवं अन्य आगंतुकों के वाहनों का प्रवेश वर्जित है।
11. कक्षाओं में अध्यापन के समय बरामदों व महाविद्यालय परिसर में घूमना, अध्ययन-अध्यापन में किसी तरह की बाधा पहुँचाना सख्त मना है।
12. विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के संबंध में उनके पालकों को बुलाया अथवा सूचित किया जाएगा।
13. अनुशासन तथा नियम भंग करने के दोषी छात्र दंड के भागी होंगे। अर्थदण्ड, कक्षा से निष्कासन अथवा अन्य निर्धारित दण्ड दिए जा सकते हैं।
14. महाविद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का बिना पूर्व अनुमति के घूमना सख्त मना है।
15. महाविद्यालय आचरण संहिता के विरुद्ध कोई भी गतिविधि करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

## महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय से शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

### अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम

म.प्र. विश्वविद्यालय नियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है।

1. निलंबन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

### छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग/प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001

**रैगिंग के अंतर्गत** — कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दा या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नये छात्र-छात्राओं को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्र/छात्राओं को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र-छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है— किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना या बाध करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे यह हास्यास्पद हो जाये या डरा धमका कर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दवाब डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दवाब डालकर या उसे भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की गतिविधि को रैगिंग के अंतर्गत माना जायेगा—

- जूनियर विद्यार्थियों द्वारा सीनियर विद्यार्थियों को 'सर' कहने के लिए
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियर विद्यार्थियों के क्लास नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए मूल्योचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- नये विद्यार्थियों को अपने सीधेपन के विपरीत अघात पहुंचाने, अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
- शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य— समलैगिंग कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- अश्लीलतायें करना, चुम्बन लेना।

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह **5 वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।** दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु महत्वपूर्ण मोबाईल नम्बर एवं सम्पर्क स्थल**

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रभारी का नाम	संपर्क स्थल
1	महाविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार के सुझाव, प्रवेश अथवा शिकायत हेतु	प्राचार्य 0788-2359688	प्राचार्य कक्ष
2	स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य	नियंत्रक, स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ 0788-2212030	स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ
3	कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/असुविधा होने संबंधी	मुख्य लिपिक 6263587921	प्रशासनिक कार्यालय
4	बालक छात्रावास से संबंधित बालिका छात्रावास से संबंधित	छात्रावास अधीक्षक 9827510952 छात्रावास अधीक्षक 8770128519	अधीक्षक कार्यालय बालक छात्रावास
5	छात्रवृत्ति/शुल्क से संबंधित	छात्र लिपिक (प्रभारी) 8629925385	प्रशासनिक कार्यालय
6	स्थानांतरण प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र नामांकन आदि से संबंधित	छात्र लिपिक (प्रभारी) 9691422316	प्रशासनिक कार्यालय
7	एनसीसी (छात्र विंग) से संबंधित	एनसीसी अधिकारी 9752715707	एनसीसी कक्ष
8	एनसीसी (छात्रा विंग) से संबंधित	एनसीसी अधिकारी 8770357118	एनसीसी कक्ष
9	एनएसएस (छात्रविंग) से संबंधित	कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस 9827215859	एनएसएस कक्ष
10.	एनएसएस (छात्रा विंग) से संबंधित	कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस 9827946117	एनएसएस कक्ष
11.	यूथ रेडक्रास इकाई	यूथ रेडक्रास प्रभारी 9981923039	वनस्पति विभाग
12	एंटी रैगिंग सेल (छात्र-छात्राओं) से संबंधित प्रकरण	संयोजक, एंटी रैगिंग सेल 9827492040	हिन्दी विभाग
13	कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत	संयोजक, 9425557653	गणित विभाग
14	ग्रंथालय संबंधी जानकारी	ग्रंथपाल 9691716649	मुख्य ग्रंथालय
15	खेलकूद आयोजनों संबंधी जानकारी	क्रीडा अधिकारी 9893670222	क्रीडा विभाग
16	हेल्प डेस्क	संयोजक, हेल्प डेस्क 9893670222	क्रीडा विभाग
17	मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र	संयोजक, परामर्श केन्द्र 8882239226	मनोविज्ञान विभाग
18	आईक्यूएसी	समन्वयक, आईक्यूएसी 9826142086	आईक्यूएसी कक्ष क्रं. 21
19	यूजीसी	संयोजक, यूजीसी सेल 9977717571	कक्ष क्रं. 21
20	कैरियर गाइडेंस/ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल	संयोजक, प्लेसमेंट सेल 9425557653	कक्ष क्रं. 22
21	इग्नू अध्ययन केन्द्र	समन्वयक इग्नू अध्ययन केन्द्र 9827492040	इग्नू अध्ययन केन्द्र
22	पं.सुन्दर लाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र	9926890963	महाविद्यालय ऑडिटोरियम के समीप स्थित कार्यालय

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(सत्र 2026-27)

डॉ. अजय कुमार सिंह (प्राचार्य)

हिन्दी विभाग			
1	डॉ. अभिनेष सुराना	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. अम्बरीश त्रिपाठी	—	सहायक प्राध्यापक
अंग्रेजी विभाग			
1	डॉ. मर्सी जार्ज	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. मीना मान	—	सहा.प्राध्यापक
3	डॉ. तरलोचन कौर	—	सहा.प्राध्यापक
4	डॉ. निगार अहमद		सहा.प्राध्यापक
5	डॉ. सीमा पंजवानी		सहा.प्राध्यापक
संस्कृत विभाग			
1	श्री जनेन्द्र कुमार दीवान		सहा.प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग			
1	डॉ. के. पद्मावती	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
भूगोल विभाग			
1	डॉ. अनिल कुमार मिश्रा	—	सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	प्रो. प्रशांत दुबे	—	सहा.प्राध्यापक
समाज शास्त्र विभाग			
1	डॉ. एलिजाबेथ भगत		सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	श्रीमती. उमा आडिल		सहा.प्राध्यापक
राजनीति शास्त्र विभाग			
1	डॉ. शकील हुसैन	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	श्री तरुण कुमार साहू	—	सहा.प्राध्यापक
इतिहास विभाग			
1	डॉ. ए.के. पाण्डेय	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. कुमार राकेश रंजन सिंह	—	प्राध्यापक
3	डॉ. ज्योति धारकर	—	सहा.प्राध्यापक
मनोविज्ञान विभाग			
1	डॉ. रचिता श्रीवास्तव	—	सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
भौतिक शास्त्र विभाग			
1	डॉ. जगजीत कौर सलूजा	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. अनिता शुक्ला	—	सहा.प्राध्यापक
3	डॉ. सीतेश्वरी चन्द्राकर	—	सहा.प्राध्यापक
4	डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा	—	सहा.प्राध्यापक
5	डॉ. कुसुमांजलि देशमुख		सहा.प्राध्यापक

रसायन शास्त्र विभाग			
1	डॉ. सुनीता बी. मैथ्यू		प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. अनुपमा कश्यप	—	प्राध्यापक
3	प्रो. उपमा श्रीवास्तव	—	सहा.प्राध्यापक
4	डॉ. अजय पिल्लई	—	सहा.प्राध्यापक
5	डॉ. व्ही. एस. गीते		सहा.प्राध्यापक
6	डॉ. प्रेरणा कठाने	—	सहा.प्राध्यापक
मानव विज्ञान विभाग			
1	रिक्त		
कम्प्यूटर साइंस विभाग			
1	प्रो. सनत साहू	—	सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
कम्प्यूटर एप्लीकेशन			
1	श्री दिलीप कुमार साहू	—	सहा.प्राध्यापक
सूचना प्रौद्योगिकी			
1	डॉ. लतिका ताम्रकार	—	सहा.प्राध्यापक
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग			
1	श्रीमती रेखा गुप्ता	—	सहा.प्राध्यापक
2	श्रीमती नीतू दास	—	सहा.प्राध्यापक
वनस्पति शास्त्र विभाग			
1	डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष माइक्रोबायलॉजी
2	डॉ. जी.एस.ठाकुर	—	सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
3	डॉ. श्रीराम कुंजाम	—	सहा.प्राध्यापक
4	डॉ. विजय लक्ष्मी नायडू	—	सहा.प्राध्यापक
5	डॉ. सतीष कुमार सेन	—	सहा.प्राध्यापक
6	प्रो. मोतीराम साहू	—	सहा.प्राध्यापक
7	प्रो. राजेश्वरी प्रभा लहरे	—	सहा.प्राध्यापक
प्राणी विज्ञान विभाग			
1	डॉ. दिव्या कुमुदिनी मिंज	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणीशास्त्र
2	डॉ. उषा साहू	—	सहा.प्राध्यापक
3	डॉ. नीरू अग्रवाल	—	सहा.प्राध्यापक
4	श्रीमती मौसमी डे	—	सहा.प्राध्यापक
5	डॉ. संजू सिन्हा	—	सहा.प्राध्यापक
6	डॉ. अलका मिश्रा	—	सहा.प्राध्यापक
7	सुदेश कुमार साहू		सहा.प्राध्यापक
8	श्री अनुराग मिश्रा		सहा.प्राध्यापक

बायोटेक्नालॉजी विभाग			
1	डॉ. श्वेता पाण्डेय	—	सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
भू-गर्भ शास्त्र विभाग			
1	डॉ. एस.डी. देशमुख	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव	—	प्राध्यापक
गणित विभाग			
1	डॉ. कु. पद्मावती	—	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. राकेश तिवारी	—	प्राध्यापक
3	डॉ. प्राची सिंह	—	प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग			
1	डॉ. सुमीत अग्रवाल		सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
2	डॉ. प्रदीप जांगड़े	—	सहा.प्राध्यापक
3	डॉ. लाली शर्मा	—	सहा.प्राध्यापक
4	डॉ. प्रीति तन्ना टांक	—	सहा.प्राध्यापक
क्रीडा विभाग			
1	श्री लक्ष्मेन्द्र कुलदीप	—	क्रीडा अधिकारी
ग्रंथालय विभाग			
1	डॉ. विनोद कुमार अहिरवार	—	ग्रंथपाल
रजिस्ट्रार			
	श्री आशुतोष कुमार साव		

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची 2026-27

कं.	कर्मचारियों के नाम (तृतीय श्रेणी)	पदनाम	कं.	कर्मचारियों के नाम (चतुर्थ श्रेणी)	पदनाम
1	श्री संजय यादव	(मुख्य लिपिक) जनभागीदारी मद	1	श्री केशव साहू	प्रयोगशाला परिचारक
2	श्री दुर्गा प्रसाद सोनी	छात्रावास अधीक्षक	2	होमेन्द्र कुमार स्वर्णकार	प्रयोगशाला परिचारक
3	श्री ललित कुमार सोनटके	छात्रावास अधीक्षक	3	रोशन यादव	प्रयोगशाला परिचारक
4	श्री एस.एल. ध्रुव	छात्रावास अधीक्षक	4	नरेन्द्र कुमार साहू	प्रयोगशाला परिचारक
5	श्री राकेश कुमार साहू	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5	श्री मोहित राम सिन्हा	भृत्य
6	श्री सत्येन्द्र कुमार सोनी	प्रयोगशाला तकनीशियन	6	श्री जितेन्द्र कुमार ध्रुव	भृत्य
7	श्रीमती शैल तिवारी	प्रयोगशाला तकनीशियन	7	श्री के. बम्ह नायडू	चौकीदार
8	श्री दिनेश कुमार मिश्रा	प्रयोगशाला तकनीशियन	8	श्री सुनील कुमार लंगोटे	स्वीपर
9	श्रीमती चमेली बाई	प्रयोगशाला तकनीशियन			
10	श्री प्रदीप कुमार	प्रयोगशाला तकनीशियन			
11	श्री अनिल कुमार साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन			
12	श्री कुमार कन्नौजे	प्रयोगशाला तकनीशियन			
13	श्री हीरालाल साहू	प्रयोगशाला तकनीशियन			
14	दीपाली राव	प्रयोगशाला तकनीशियन			

## संलग्न - 1

### छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

मैं ..... (छात्र/छात्रा का पूरा नाम प्रदेश/पंजीयन/नामांकन सहित)  
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती ..... (संस्था का नाम) .....

..... में प्रवेश प्राप्त कर चुका/चुकी हूँ। मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-32 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है, के प्रति सजग हुआ/हुई।

मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षडयंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि -

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी जोकि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो -

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा/बनूँगी जो कंडिका-3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो।

मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिये वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा की दिनांक .....माह.....वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

### सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) ..... (दिन)..... (माह)..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)..... (माह)..... वर्ष ..... को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

## संलग्न - 2

### माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु. .... (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम)

..... (छात्र का पूरा नाम, प्रदेश, पंजीयन/नामांकन संख्या सहित )  
..... (संस्था का नाम)

..... में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि -  
(अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका - 3 के अंतर्गत आता है।  
(ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।  
घोषणा की दिनांक ..... (माह)..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

फोन/मोबाइल नंबर .....

### सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) ..... (दिन)..... (माह)..... वर्ष .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)..... (माह)..... वर्ष ..... को हस्ताक्षर  
आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

## विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ सत्र –2025-26

प्रिय छात्र,

आपके समग्र विकास के लिए हम आपको कॉलेज द्वारा चलाई जाने वाली अतिरिक्त गतिविधियों की सूची में से चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप अपनी रुचि के आधार पर एक अथवा दो गतिविधियों का चयन कर सकते हैं। अंतिम आवंटन उपलब्धता के आधार पर होगा।

(✓ अपनी रुचि के अनुसार टिककरें। आपको सीट उपलब्धता के आधार पर कोई एक गतिविधि आवंटित की जा सकती है।)

छात्र का नाम, कक्षा और सेक्शन : .....

### 1. शैक्षणिक एवं विषय-विशिष्ट क्लब

- विज्ञान एवं गणित क्लब
- कंप्यूटर एवं कोडिंग क्लब
- व्यवसाय एवं उद्यमिता क्लब
- भाषा एवं साहित्य क्लब
- इतिहास एवं संस्कृति क्लब
- अर्थशास्त्र एवं वित्त क्लब
- सामाजिक विज्ञान क्लब

### 2. धरोहर, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्लब

- भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) क्लब
- संगीत एवं नृत्य क्लब (वाद्य, गायन/शास्त्रीय, समकालीन)
- नाटक एवं रंग मंच क्लब
- कला एवं पेंटिंग क्लब
- फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी एवं लघु फिल्म निर्माण क्लब
- रचनात्मक लेखन क्लब

### 3. खेल एवं फिटनेस क्लब

- क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल
- योग एवं ध्यान क्लब
- एथलेटिक्स और ट्रैकइवेंट

### 4. कौशल एवं व्यक्तित्व विकास क्लब

- प्रश्नोत्तरी क्लब/ज्ञानमंच
- विज्ञान एवं नवाचार क्लब (परियोजनाएं, मॉडल बनाना)
- हस्तनिर्मित कागज/बैग/मोमबत्ती निर्माण
- एंकरिंग एवं इवेंटमैनेजमेंट
- सार्वजनिक भाषण, वाद-विवाद एवं समूह चर्चाएँ
- कॉलेज न्यूज़लैटर एवं पत्रिका प्रकाशन क्लब

### 5. लैब और फील्ड-आधारित लर्निंग क्लब

- ग्रीन कैंपस एवं जैव विविधता मान चित्रण
- मिट्टी/पानी/वायुगुणवत्ता परीक्षण परियोजनाएँ
- माइक्रोबियल कल्चर एवं जैव उर्वरक निर्माण
- बागवानी एवं नर्सरी

### 6. वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता

- आयकर फाइल करना
- बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान जागरूकता
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) जागरूकता

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



छात्र अपना  
पासपोर्ट  
साईज फोटो  
चिपकार्यें

**छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र**

**—: आवेदक का विवरण :—**

1. पूरा नाम (हिन्दी) : .....
- (अंग्रेजी) : .....
2. पिता का नाम : .....
3. माता का नाम : .....
4. जन्म तारीख : .....
5. किस कक्षा में प्रवेश लिया व कं. : .....
6. ब्लड ग्रुप: .....
14. पिता का व्यवसाय: .....
15. जमा की गई शुल्क की राशि एवं रसीद क्रमांक का विवरण : .....
16. यदि छात्रावास में गतवर्षों में छात्रावास में रहे हों तो उसका विवरण :—  
कं. सत्र छात्रावास का नाम  
(1)  
(2)
17. जिस परीक्षा के आधार पर अगामी कक्षा में प्रवेश लिया है उसका विवरण :—  
अंको का प्रतिशत .....श्रेणी .....वर्ष.....
18. जाति :—(1) सामान्य ..... (2) अ.जा.....  
(3) अ.जन.जा..... (4) पिछड़ा वर्ग .....
19. पूर्ण स्थानीय पता : .....
- .....
20. स्थायी पता .....
- .....
14. संपर्क दूरभाष .....मोबाईल .....
- मैं घोषित करता हूँ कि छात्रावास संबंधी नियमों व उपनियमों तथा समय-समय पर प्राचार्य एवं अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का मेरा पालन, पालन करेगा एवं किसी नियम या उपनियम के उल्लंघन के कारण यदि उसे छात्रावास से निष्कासित किया जाता है तो वह मुझे मान्य होगा।  
अभिभावकके हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता : .....विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं नाम  
तथा विद्यार्थी के साथ संबंध .....तारीख .....

**—: प्रवेश अनुशंसा पत्रक :—**

छात्रावास कं. ....में श्री .....कक्षा .....को  
प्रवेश दिया गया और इन्हें तीन सीट/दो सीट/एक सीट वाले कमरे में निवासित किया गया।

प्राचार्य  
छात्रावास कमांक .....

हस्ताक्षर वार्ड न : .....

दिनांक .....

**Central Library**  
**Govt. V. Y. T. PG. Autonomous College Durg C. G.**

---

**Library/ I D Card Form**  
**(For Students)**

Please Paste  
your latest  
Photograph

1. Full Name :-----  
(please write in capital letters)
2. Father's Name :-----
3. Class :----- Section -----
4. Full Residential address :-----  
-----  
-----  
-----
5. Mobile & Whatsapp No :-----  
-----
6. Email Address :-----  
-----

Signature of Applicant

---

**ADMISSION COMMITTEE USE ONLY**

Admission Number ----- Date -----

Forwarded by Admission In charge

---

**CENTRAL LIBRARY USE ONLY**

Code No.

Validity

NLIST

J-Gate

Librarian



डॉ. अजय कुमार सिंह  
प्राचार्य

महाविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय से जुड़े द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी  
अधिकारी / कर्मचारी



श्री आशुतोष कुमार साव  
रजिस्ट्रार




श्री दुर्गा प्रसाद सोनी  
छात्रावास अधीक्षक



श्री ललित कुमार सोनटके  
छात्रावास अधीक्षक



श्री एस.एल. ध्रुव  
छात्रावास अधीक्षक



श्री संजय यादव  
(मुख्य लिपिक)  
जनभागीदारी मद



श्री राकेश कुमार साहू  
डाटा एन्ट्री आपरेटर



श्री सत्येन्द्र कुमार सोनी  
प्रयोगशाला तकनीशियन



श्री जितेन्द्र  
भृत्य



श्री मोहित राम सिन्हा  
भृत्य



श्री सुनील कुमार लंगोटे  
स्वीपर

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)  
महाविद्यालय परिवार 2026-27  
कला संकाय (Arts Faculty)

हिन्दी विभाग  
(Hindi Department)



डॉ. अभिनेश सुराना  
प्राध्यापक  
एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. अम्बरीश त्रिपाठी  
सहा. प्राध्यापक

समाज शास्त्र विभाग  
(Sociology Department)



डॉ. एलिजाबेथ भगत  
सहा. प्राध्यापक



श्रीमती उमा आडिल  
सहा. प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग (English Department)



डॉ. मर्सी जॉर्ज  
प्राध्यापक  
एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. मीना मान  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. तरलोचन कौर  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. निगार अहमद  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. सीमा पंजवानी  
सहा. प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग  
(Economics Department)



डॉ. के. पद्मावती  
प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र विभाग  
(Political Science Department)



डॉ. शकील हुसैन  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



श्री तरुण साहू  
सहा. प्राध्यापक

मनोविज्ञान विभाग  
(Psychology Department)



डॉ. रचिता श्रीवास्तव  
सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

इतिहास विभाग  
(History Department)


मानव शास्त्र विभाग  
(Anthropology Department)




डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. राकेश रंजन सिंह  
प्राध्यापक



डॉ. ज्योति धारकर  
सहा. प्राध्यापक



रिक्त

**संस्कृत विभाग**  
(Sanskrit Department)



श्री जनेन्द्र कुमार दीवान  
सहा. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

**भूगोल विभाग**  
(Geography Department)



डॉ. अनिल कुमार मिश्रा  
सहायक प्राध्यापक  
एवं विभागाध्यक्ष



श्री प्रशांत दुबे  
सहायक प्राध्यापक

**वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty)**

**वाणिज्य विभाग (Commerce Department)**



डॉ. सुमीत अग्रवाल  
सहायक प्राध्यापक  
एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. प्रदीप जांगड़े  
सहायक प्राध्यापक



डॉ. लाली शर्मा  
सहायक प्राध्यापक



डॉ. प्रीति तन्ना टांक  
सहायक प्राध्यापक

**विज्ञान संकाय (Science Faculty)**

**भौतिकी विभाग (Physics Department)**



डॉ. जगजीत कौर सलूजा  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. श्रीमती अनिता शुक्ला  
सहा. प्राध्यापक



श्रीमती सीतेश्वरी चन्द्राकर  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. अभिषेक कुमार मिश्रा  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. कुसुमांजलि देशमुख  
सहा. प्राध्यापक

## रसायन शास्त्र विभाग (Chemistry Department)



डॉ. सुनीता बी. मैथ्यू  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. अनुपमा कश्यप  
प्राध्यापक



श्रीमती उपमा श्रीवास्तव  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. अजय पिल्लई  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. व्हीएस.गीते  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. प्रेरणा कठाने  
सहा. प्राध्यापक

## गणित विभाग (Mathematics Department)



डॉ. कु. पद्मावती  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. राकेश तिवारी  
प्राध्यापक



डॉ. प्राची सिंह  
प्राध्यापक

## प्राणीशास्त्र विभाग (Zoology Department)




डॉ. दिव्या कुमुदिनी मिंज  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. उषा साहू  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. नीरू अग्रवाल  
सहा. प्राध्यापक



श्रीमती मौसमी डे  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. संजू सिन्हा  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. अलका मिश्रा  
सहा. प्राध्यापक



श्री सुदेश कुमार  
सहा. प्राध्यापक



श्री अनुराग मिश्रा  
सहा. प्राध्यापक

## वनस्पति शास्त्र विभाग (Botany Department)



डॉ. प्रज्ञा कुलकर्णी  
प्राध्यापक एवं  
विभागाध्यक्ष माइकोबायलाजी विभाग



डॉ. जी.एस.ठाकुर  
सहा.प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. श्रीराम कुंजाम  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. विजय लक्ष्मी नायडू  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. सतीष कुमार सेन  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. मोतीराम साहू  
सहा. प्राध्यापक



प्रो. राजेश्वरी प्रभा लहरे  
सहा. प्राध्यापक

## भूगर्भ शास्त्र विभाग (Geology Department)

## बायोटेक्नोलॉजी विभाग (Biotechnology Department)

## सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग (Microbiology Department)



डॉ. एस.डी. देशमुख  
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष



डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव  
प्राध्यापक



डॉ. श्वेता पाण्डेय  
सहा. प्राध्यापक



श्रीमती रेखा गुप्ता  
सहा. प्राध्यापक



डॉ. नीतू दास  
सहा. प्राध्यापक

## कम्प्यूटर साइंस/एप्लीकेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Computer Science/Application & IT Department)

## पुस्तकालय (Library)

## क्रीडा विभाग (Sports Department)



डॉ. सनत कुमार साहू  
सहायक प्राध्यापक



श्री दिलीप साहू  
सहायक प्राध्यापक



डॉ. लतिका ताम्रकार  
सहायक प्राध्यापक



डॉ. विनोद अहिरवार  
ग्रंथपाल एवं प्रभारी  
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग



श्री लक्ष्मेन्द्र कुमार कुलदीप  
कीडा अधिकारी  
खेल विभाग

# विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की झलक



वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह



जम्मू कश्मीर में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में छ.ग. का प्रतिनिधित्व किया



स्टार्ट-अप दिवस का आयोजन



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय ज्ञान परंपरा पर केन्द्रित राष्ट्रीय कार्यशाला की झलक



महाविद्यालय में गठित इको क्लब



विश्व ओजोन दिवस पर रसायन शास्त्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम



माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी



हिन्दी विभाग द्वारा आयोजित भूतपूर्व छात्र सम्मेलन



अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित भूतपूर्व छात्र सम्मेलन



राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कृत स्वयं सेवक



महाविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम



गणित विभाग द्वारा प्रकाशित गणित सुमन पत्रिका का विमोचन



भूगर्भशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों द्वारा नगर निगम दुर्ग के जल शोधन संयंत्र का भ्रमण

## महाविद्यालय के अविस्मरणीय क्षण



महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन समारोह



महाविद्यालय को हेमचंद्र यादव विश्वद्यालय, दुर्ग परिक्षेत्र में आने वाले शासकीय महाविद्यालयों में हमारे महाविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ



विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आदिवासी नृत्य की झलक

मूल्य-रु. 120/- (एक सौ बीस रुपये मात्र)

प्राचार्य, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग) द्वारा प्रकाशित एवं द्वारा मुद्रित